ble that the existing provisions which deal with these types of offences may not be adequate. But, at the same time, Sir, it has to be kept in mind that this is not the only piece of tax legislation; there are various other provisions also. Therefore, in order to make an over-all assessment, I have indicated that this is a matter which requires some detailed examination and in regard to which, State Governments have also to be consulted. Sales tax is not administered merely by the Delhi Administration or by the Central Government; certain other States also come into the picture. Other tax laws are also there administered by the Central Government, and at the appropriate time, it would be possible for us to take an overall view so far as this particular point is concerned and if necessary amendments can be made.

With these words, I request the hon. House to consider this Bill

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the levy of tax on sale of goods in the Union territory of Delhi, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: We shall now take up clause-by-clause consideration.

There are no amendments to clauses 2 and 3.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

Clause 4— (*Rate of tax*)

MR. SPEAKER: We shall take up Clause 4. There is one Government amendment, amendment No. 1.

**Amendment made:*

"Page 5, line 15,—

for "three paise" *substitute* "four paise"

(SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill. Clauses 5 to 75, the First Schedule, the Second Schedule, the Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I move:

"That the Bill, as amended, be passed".

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

11.42 hrs.

DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: We will resume further consideration of the following motion moved by Shri K. Brahmananda Reddy on the 28th July 1975, namely:

'That the Bill to amend the Defence of India Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

Shri Jharkhande Rai may continue his speech.

---

*Amendment moved with the recommendation of the President.

श्री चारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 28 वर्षों के बाद पहली बार राज्य के दमनकारी यंत्र का प्रयोग दक्षिण-पंथी, प्रतिक्रियावादी, साम्प्रदायिक, अर्ध-फासिस्ट, नव-उपनिवेशवादी और साम्राज्यवाद-परस्त अमरीकी-पक्षी शक्तियों के विरुद्ध करारे प्रहार के रूप में किया गया है इसलिये हम कम्युनिस्ट खुले दिल से इन सभी कदमों का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक बात की तरफ़ सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि यह हमला पहला है। अभी आगे बढ़ कर इन शक्तियों को सदैव के लिये चूर चूर करना होगा। बिड़ला और दूसरे पूंजीपतियों के समर्थन से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी को अपने वायदों को इस बार कम से कम पूरी दृढ़ता और मनोयोग के साथ पूरा करने के लिये आगे बढ़ना होगा। इस सिलसिले में 1 जुलाई, 1975 का माननीया प्रधान मंत्री, इन्दिरा जी का भाषण पुनः कुछ निराशा पैदा करता है जब उन्होंने अपने नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि "केवल एक ही जादू है जो गरीबी को दूर कर सकता है और वह है स्पष्ट दूर दृष्टि के साथ साथ कड़ा परिश्रम, दृढ़ इच्छा और कठोरतम अनुशासन।" इसमें कहीं समाज के क्रान्तिकारी रूपान्तर की बात है ? कहीं दूरगामी ढांचा बदलाव (स्ट्रक्चरल चेंजेज) की बात है ? नहीं है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की परिसमाप्ति की बात नहीं है। 1971 में जिस समाजवाद की चर्चा की गई थी उस तक को इसमें छोड़ दिया गया है। इससे एक शंका पैदा होती है।

मैं मान्यवर, स्पष्ट कर देना चाहता हूं स्वयं इन्दिरा जी को और उनके साथ के शासकों को कि गरीबी दूर करने का एक मात्र उपाय और जादू है समाजवाद की तरफ़ बढ़ना और समाजवादी समाज की स्थापना। मैं कल अपने भाषण के दौरान कुछ सुझाव दे रहा था। मैंने एक खोज की है। जैसे रामायण काल की मंथरा ने केकई की अच्छी बुद्धि को भ्रष्ट किया था, उसी तरह इस वर्तमान भारतीय राजनीतिक युग में मीनू मसानी ने जय प्रकाश जी की बुद्धि को भ्रष्ट किया है। मीनू मसानी वर्तमान युग की मंथरा हैं। इन्होंने जयप्रकाश जी की बुद्धि को भ्रष्ट किया। समाजवादी आन्दोलन के एक प्रमुख संस्थापक और उस के एक कर्णधार, जिन्होंने "समाजवाद ही क्यों" "व्हाई सोशलिज्म इन इंडिया" पुस्तक लिखी थी जिसको पढ़ कर हजारों लाखों देश के नौजवान समाजवादी विचार के बने थे उन को अपने पथ से भ्रष्ट करने में मीनू मसानी को सफलता मिली, और आज जयप्रकाश जी को पूर्ण पतन तक पहुंचा कर तब शान्त हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा क्या मीनू मसानी इस समय जेल में हैं या बाहर हैं ? मेरे ख्याल से उनका स्थान जेल में ही होना चाहिये।

मान्यवर, इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते और भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का एक क्रान्तिकारी सिपाही होने के नाते मैं जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रीय व्यक्तित्वों में जितना सीधा पतन, स्टीप फाल, जयप्रकाश जी का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिक के इतिहास में इसकी नजीर केवल एक व्यक्ति में दी जा सकती है और वह है वीर सावरकर जो क्रान्तिकारी साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन के प्रतिपितामह थे। लेकिन उनका पतन यहां तक पहुंचा कि राष्ट्रीयता महात्मा गांधी की हत्या के जघन्य षड़यंत्र में भी वह शामिल हो गये थे।

प्रतिक्रियावाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। वह राजाओं के महलों में, पूंजीपतियों की कोठियों में, सेठ साहूकारों की गद्दियों में है। इन पर मरणान्तक प्रहार करने का समय आ गया है और इन अपार शक्तियों का जो सरकार ले रही है, यही अवसर है उन समाज के आदमखोरों के विरुद्ध इस्तेमाल

करने का । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन अपार शक्तियों का इस्तेमाल इन की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिये करना चाहिये । मान्यवर, इस सदन का इतिहास है कि जब जब सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाये हैं इस सदन के वाम-पक्षी विरोध पक्ष की जनवादी शक्तियों ने उनका हृदय से समर्थन किया था--चाहे वह राजाओं के प्रीवी पर्स का मामला रहा हो, 14 बड़ियालो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला रहा हो, संविधान में सम्पत्ति सम्बन्धी धाराओं में परिवर्तन का मामला रहा हो, 1006 कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का सवाल रहा हो या 103 रुग्ण सूती मिलों के अधिग्रहण का सवाल था या संसद की सार्वभौम सत्ता की श्रेष्ठता के कदम रहे हों--जब जब सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाये है हमने सदा उनका समर्थन किया है और देश की करोड़ों जनता ने मुक्त कंठ से उनका समर्थन किया । इसलिये सरकार को सहयोग देने की शिकायत विपक्ष के वाम-पक्षी एवं जनवादी हिस्सा से कभी नहीं हो सकती है ।

अब डी० आई० आर० का दुरुपयोग शुरू हो गया है । उनके दुरुपयोग के सिलसिले मे मैं दो चार नजीरें आपके सामने पेश करना चाहता हू । हमारे यू० पी० के लखनऊ और फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित एक मात्र वाम पक्षी हिन्दी दैनिक "जन-मोर्चा" अखबार के कर्णधार श्री हरि गोविन्द जी को गिरफ्तार कर लिया गया । केन्द्र मे कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद उन्हे मुक्त किया गया । मैं जानना चाहता हू कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया अचानक, और किस बुनियाद पर वह छोड़ दिये गये ? इसी तरह, कल मै मिर्जापुर से आ रहा हू वहा रेणूकूट स्थान पर जो बिड़ला की अल्यूमीनियम फैक्ट्री है, एशिया की सब से बड़ी, जिस को हिन्डालको कहते हैं, वहां श्री राज किशोर सिंह नाम के मजदूर को जो प्रबन्धकों का निष्ठावार रहा है, उसे इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया, डी० आई० आर० में कि उसने अपने 14 मजदूर साथियों को कत्ल के झूठे मुकदमे में फसाने के लिये पुलिस की ओर से झूठी गवाही देने से इन्कार कर दिया और लिख कर मैजिस्ट्रेट को दे दिया । अगर डी० आई० आर० का इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जायेगा तो खुदा खैर करे ।

मान्यवर, इसी तरह से मिर्जा पुर के चुनार स्थान में एक निर्दलीय स्वतन्त्र व्यक्ति श्री जीउत राम को गिरफ्तार किया गया है । वह राष्ट्रवादी विचार का व्यक्ति है और पता नही उसके खिलाफ़ कौन से चार्जेज हैं । मिर्जापुर जनपद के सभी कांग्रेसियों और कम्युनिस्टो ने मिल कर लिख कर दिया है कि इनका सम्बन्ध न आर० एस० एस० से है और न आनन्दमार्गियों से है लेकिन फिर भी वे जेल में रखे गये हैं ।

अब मैं बिहार की नजीरों के बारे में आपको बताता हू । बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री जगन्नाथ सरकार ने जो सूचना हम लोगों को भेजी है, वह बहुत लम्बी है और मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूगा लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हू कि मधुबनी जिले के बारे मे, औरंगाबाद जिले के बारे में, सीतामढ़ी जिले के बारे में, सिंहभूम जिले के बारे मे और सारन जिले के बारे में यह लिखा है कि वहा पर हमारे बहुत से साथियो को गिरफ्तार किया गया है । वे लोग कम्युनिस्ट जिला कमेटी की कार्यकारिणी के मेम्बर है, जिला कमेटी के सचिव मडल, सेक्रेटेरियेट के मेम्बर है, जिला कौसिल के मेम्बर हैं या उन जिला कमेटियों के कर्मठ सदस्य हैं । हमारे खुद उत्तर प्रदेश में इटावा और बस्ती में दो प्रमुख साथियों को गिरफ्तार किया गया है डी० आई० आर० और मीजा में । मेरा कहना यह है कि ऐसे दुरुपयोगों को सरकार को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये । पांच पांच पैसे अधिक दाम लेकर साबुन के बेचने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता

[श्री झारखंडे राय]

है परन्तु एक रुपया अधिक दाम पर रेणुकोट में, जो बिरला का सुपर मार्केट है, बेचनेवालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पांच पैसे अधिक पर बेचने वालों को गिरफ्तार करके फिर अच्छी मोटी मोटी रकमें लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह से वहां रेणुकोट के स्थानीय दारोगा श्री नवल किशोर सिंह और उनके संगी साथी मालामाल हो रहे हैं, राजा हो गये हैं। इसी एक माह में। वहां की यूनियन वालों ने 123 बोरा नमक और 10 बोरी चीनी पकड़ी लेकिन पैसे लेकर उनको पुलिस ने छोड़ दिया। इस तरह से डी० आई० आर० और मीसा का मिसयूज नीचे के स्तर पर होना शुरू हो गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी पूरी रोकथाम होनी चाहिये। अभी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस बात पर बहुत प्रबल रूप से आग्रह किया है कि हम किसी तरह से डी० आई० आर० और मीसा को दुरुपयोग नहीं होने देंगे और हम ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करेंगे, जो ऐसा करेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

मान्यवर, मिर्जापुर और रेणुकोट में जो प्रतिबन्धित सस्थाएं हैं, बैंड संस्थाएं हैं जैसे कि आर० एस० एस०, उनके लोग खुले आम घूम रहे हैं। आप श्री अजीज इमाम साहब से, जो कि आपके आदमी हैं, पूछ लीजिये और वह मेरे शाहिद होंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेणुकोट की जो जन संघर्ष समिति है, उस का निर्माण संग्राम सिंह कोठारी ने करवाया, उसकी स्थापना उन्होंने करवाई और वे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। है हिम्मत आप में उनको हाथ लगाने की। आप साहस कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। उस संघर्ष समिति का एक आदमी भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ऐरे, गैरे गिरफ्तार कर लिये जाते हैं और जो मुख्य कर्णधार उन संस्थाओं के हैं, जिन पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाए हैं, वे घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा जी ने अभी इंडस्ट्रियल और लेबर लीडर्स के बीच में संग्राम सिंह कोठारी और बिरला प्रबन्धकों से हिंडालको क्षेत्र में कम से कम शान्ति कायम रखने के लिए कहा था और कहा था कि इस इमर्जेन्सी में श्रम और पूंजी में एका होना चाहिए। उस की चर्चा मैंने कल की थी। जब मजदूर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो पूंजी के दानव उनका हाथ नहीं पकड़ते बल्कि उल्टे उनको लात मार देते हैं।

डी० आई० आर० का इस्तेमाल हमारे देश में जो गन्दी, अश्लील कामुक और फूहड़ किस्म के चलचित्र बनाये जा रहे हैं, उन को खत्म करने में करना चाहिए। इन सड़े-गले चल-चित्रों ने हमारे देश की तीन पीढ़ियों को खराब किया है। हम और आप उसमें नहीं आते हैं। वे तीन पीढ़ियां हैं युवा, किशोर और बाल पीढ़ी। इन का सत्यानाश हो रहा है। इसके अलावा हमारे देश में पत्र-पत्रिकाओं में और विज्ञापनों में अर्द्ध-नंगी स्त्रियों के कामोत्तेजक चित्र छपते रहते हैं ब्लिट्ज अखबार की नकल अब अन्य साप्ताहिकों ने कर ली है। आज हमारे देश की प्रधान मंत्री एक वीरशूर और साहसी महिला हैं और यह इन्टरनेशनल वीमेन इयर है। ऐसे वक्त में, कम से कम हमारे देश में, इस तरह में नारी जाति का अपमान बन्द होना चाहिए। इस विषय में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने बहुत पहले एक बात कही थी, जब वे राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि 'मेरा बस चलता तो मैं हिन्दुस्तान के तमाम सिनेमाओं को बन्द कर देता'। उस समय मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा का मेम्बर था। मैंने विधान सभा में कहा कि वह समय कब आएगा? हिन्दुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यह कहे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं सारे सिनेमाओं को बन्द कर देता यह कैसे आश्चर्य की बात है। मैं चाहूंगा कि इस विषय की ओर सरकार ध्यान दें। साथ ही गन्दे, अश्लील और भद्दे डिजाइन के हजारों किस्म के कपड़ों का बनना उन्हें युवकों को

पहनने देना या हिप्पी-कट बाल रखना--- पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । इससे देश की युवा पीढ़ी में जनखापन आ रहा है । रैगिंग की अमानुषिक प्रथा सख्ती से दबायी जानी चाहिये ।

अफवाहों को रोकने का प्रयास करना चाहिए । अफवाहें बेहद फैलती जा रही हैं । और फैली हुई हैं । दूर सुदूर गांवों में, यू०पी० के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आप चले जाइए तो वहां यह अफवाह फैली हुई है और विश्वास के रूप में लोगों में यह बात जमी हुई है कि श्री जगजीवन राम और चौहान साहब गिरफ्तार हैं । उनको समझाया जाता है लेकिन वे मानते नहीं हैं और कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं और अख़बारों में जो बयान छपते हैं, वे झूठे हैं । आपको पता होगा कि 1942 में अंग्रेजी सरकार ने अपने मामलों का अधिकृत वक्तव्य देना शुरू कर दिया था । इस तरह से अख़बारों में सरकार की चीज छपे, तो कम से कम कुछ भ्रम फैलने से तो रुकेगा वरना एक आधार भ्रम फैलाने वालों को मिलता रहेगा और असत्य देश में फैल रहा है । इस तरह से जो मंशा आप के डी०आई०आर० और मीजा की है, वह पूरा नही होगा । गोपालन जी ने इसी सदन में कहा कि उनकी पार्टी के 3 हज़ार लोग गिरफ्तार हैं । यह सही है । गिरफ्तारियों की संख्या प्रदेश और जिलावार सरकार की ओर से छपनी चाहिये ।

मान्यवर, आज सेंसर से हालत चौपट हो गई है । जो हम बोलते हैं उस की दो लाइनें भी नहीं निकलती हैं जब कि श्री जगजीवन राम और दूसरे मंत्रियों के लम्बे भाषण निकलते हैं । अगर दो लाइनें औरों की भी निकल जाएं, तो कौन सा आसमान फट जाएगा या धरती आसमान पर चली जाएगी । मा० कृष्णकान्त के लिए सस्पेंडेड कांग्रेस मेम्बर जब लिखते है, तो वह भी काट दिया जाता है । दक्षिण पंथी विरोध पक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया, अथवा बहिष्कार किया, इसके छपने से तो भारत की राजनीति और स्पष्ट होती है । कम्यूनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय प्रस्ताव से "अमरीकी" शब्द साम्राज्यवाद के पहले हटाया जा रहा था । इस तरह सेंसर का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं । सेंसर की भी कुछ सीमा होनी चाहिए । अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा सेंसर 1942 के विद्रोह में नहीं लगाया था । उस समय हम जेल के अन्दर थे और मान्यवर आप भी रहे होंगे । हम लोग छिप कर चोरी से अख़बार मंगाते थे, लेकिन उस समय इतना सेंसर नही था जितना कि आजकल है कि कोई बात अख़बार में निकलती ही नहीं हैं । यहां दिन भर बैठ कर बक-बक कर लो लेकिन उसका एक अक्षर भी अख़बार में नहीं आएगा । इससे क्या भला हो रहा है और किसका हित हो रहा है सुना है इंदिरा जी का भाषण भी सेंसर हो गया । मेरा कहना तो यही है कि इससे अफवाहें फैलेंगी और अफवाहों के लिए आधार सरकार दे रही है । बी०बी०सी० और अमेरिकन अख़बारों में ग़लत ख़बरों के छपने को रोकने का प्रयास आप कर रहे हैं? सरकार ने क्या उसका विरोध किया है? क्यों बी०बी०सी० और अमरीका ऐसी ख़बरें फैला रहा है कि जय प्रकाश जी मर गये हैं, जय प्रकाश जी भूख-हड़ताल पर हैं और मुरारजी देहाई भूख हड़ताल कर रहे हैं । इस तरह की ख़बरें फैलाई जा रही हैं । इसकी आप काट नहीं करेंगे, तो आपका भला कभी पूरा नही होगा । इसलिए हम चाहते हैं कि इन तमाम चीजों की ओर सरकार हिम्मत और बुद्धिमानी के साथ कदम बढ़ाए और सेंसर का दुरुपयोग नही होने देना चाहिए । सेंसर के लिये बहुत से रिटायर्ड खूसट अधिकारी और कर्मचारी बुला लिये गये हैं और इसमें उनका निहित स्वार्थ हो गया है कि यह सेंसर बना रहे और इमर्जेन्सी बनी रहे ताकि उनकी नई रोटी चलती रहे । सरकार इस विषय के बारे में पोलिटीकल ढंग से सोचे

[श्री झारखंडे राय]

और केवल प्रशासनिक ढंग से ही न तब इस इमर्जेन्सी का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से यह कहता हूं कि आप का इतना लम्बा बयान हो गया है, अब आप समाप्त कीजिए। अभी और भी काफ़ी बोलने वाले है।

श्री झारखन्डे राय : मैं दो-दो लाइनों में ही अपनी बातें कह दूगा।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट में आप अपना भाषण खत्म कर दीजिए।

श्री झारखन्डे राय : मुझे दो मिनट और दिये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : चलिये, दो मिनट में ही खत्म कीजिए।

श्री झारखन्डे राय : मान्यवर, मैं चाहता हूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों में जो छिपे संघी और आनन्दमार्गी विचार के लोग हैं, उनको अभियान चला कर सरकारी सेवाओं से अलग किया जाना चाहिए।

श्री के० आर० गणेश के जमाने मे जो अभियान तस्करों के खिलाफ़ चलाया गया था और जो उसके बाद मंद हो गया है, उसको फिर से बड़े पैमाने पर इन अधिकारों का इस्तेमाल करके शुरू करना चाहिए।

महेश योगी, सांईंबाबा, बाल योगेश्वर और सब से महत्वपूर्ण जयगुरुदेव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जय गुरुदेव आजकल पोलिटीकल प्रचार कर रहे है और भयकर जहर उगल रहे हैं। उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। आनन्दमार्ग, आर०एस०एस० और जमायते इस्लामी की सभी सम्पत्ति जब्त होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जो मंत्री लोग साईंबाबा के चेले हैं, उनके बारे में क्या हो ?

श्री झारखंडे राय : यह तो वह जाने। जय प्रकाशजी के साथ जो जेल में व्यवहार हो रहा है या मुरारजी देसाई के साथ जो व्यवहार हो रहा है और यह कहा जाता है कि उनको विदेशी एयरकंडिशंड कार में ले जाया गया या एयर कंडिशंड स्थानों पर उनको रखा गया है इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना है। लेकिन कलकत्ता में और उसके पास के जिलों में जो दो सौ नक्सलवादी काले पानी की सजा पाये पड़े हुए हैं उनके साथ जो अमानुषिक व्यवहार हो रहा है वह नही होना चाहिए। बिहार के भोजपुर जिले में मुसहरी गांव में बारह तथाकथित नक्सलवादियों को पकड़ कर गोली से मार दिया गया। तीन को तो जिन्दा जला दिया गया और कह दिया गया कि ये लोग मुठभेड़ में मारे गये हैं। इस तरह की राक्षसी और नृशंस हत्याओ की बात नही होनी चाहिए। यह तो इवन स्टैंडर्ड है यह नहीं चलेगा। कम से कम जेलो में कैदियो के साथ उस तरह का व्यवहार तो होना चाहिए जिस तरह का अंग्रेज के जमाने में कैदियो के साथ किया जाता था। आज के जमाने मे मामूली कैदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार जेलखानो में होता है उस तरह का व्यवहार तो इन नक्सलवादियों के साथ होना ही चाहिए।

श्री जगजीवन राम ने जो यह कहा है कि एक ही पार्टी की सरकार बनेगी तभी वह स्थायी सरकार रह सकेगी ठीक नही है। अब तक का अनुभव यह बताता है कि एक ही पार्टी की सरकार भी अस्थायी सरकारें रही हैं और बहुत सी पार्टियों को मिला कर जो सरकारें बनी हैं वे भी अस्थायी सरकारें रही हैं। प्रैगमेटिक एकता, कार्यक्रमों की एकता सरकार के स्थायी होने का एकमात्र गूर है। केरल की सरकार इसका नमूना है कि बहुदलीय सरकार होने पर भी वह स्थायी है। गैर कांग्रेसी और कांग्रेसी सरकारें भी स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकी हैं। इस वास्ते जगजीवन रामजी का यह कहना सही नहीं है कि

उनको एक पार्टी की सरकार ही स्थायी हो सकती है। स्थायित्व सरकार को प्रदान करना हो तो प्रैगमेटिक एकता का होना बहुत जरूरी है।

SHRI Y. S. MAHAJAN (Buldana): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Defence of India Bill. The original Act of 1971 had made arrangements for public safety, civil defence, maintenance of essential supplies. That Act was patterned on the Defence of India Act 1962.

This amendment is made to cover the internal problems which are likely to arise after the declaration of emergency in this country. It is necessary because the defence of any country depends on its internal stability and our internal stability was threatened by what was happening in this country during the last two or three years. We know that any small excuse was sufficient to organise opposition to strikes, bandha, gherao or even a civil disobedience movement. All these movements often resulted in violence. We know, for instance, in Gujarat young men were organised and asked to harass the elected members of the Legislature, who, as a result, had to resign and ultimately, the Assembly had to be dissolved. In a country where elected members of the legislature are not allowed to work, democracy cannot survive. Attempts were made to repeat the same thing in Bihar, but, fortunately; there the Assembly has not been dissolved. The leader of the Movement, Shri Jayaprakash Narayan, had the intention to organise such movements in all the States of this country. As a result of that, we find that all over the province we had a spated of gheraos, marches, bandhs and all that. Recently, they had decided, particularly on 24th June, to launch a civil disobedience movement. Shri Jayaprakash Narayan even asked the Army and the Police not to obey orders. He has very cleverly used the word 'illegal'. How can the Army and the Police distinguish between legal and illegal orders? That was a challenge to the established authority of the country, it was a challenge to the democracy of the country. It was nothing but a determined attempt to create chaos in his country. Naturally, Government had to consider it very seriously, otherwise it would have invited foreign aggression. Government was, therefore, right in declaring Emergency and in amending the Defence of India Act by an ordinance, *i.e.* the amendments which the hon. Minister has brought before the House. That this amendment has been justified is proved by facts or by what has happened in this country after the declaration of the Emergency and the ordinance. We find that in the last few days, there has been complete law and order in this country—no disturbances from any part of the country, no more strikes and no more gheraos or civil disobedience movements. Secondly, sir, we have succeeded in bringing down the price line by heroic efforts during the last year. Government have brought down the price level considerably, at least so far as the wholesale prices are concerned; and during the last fortnight, even retail prices are coming down in different places, in different proportions. Sir, if you think of other countries of the world—take the case of Great Britain; there, the Government has got into serious difficulties because of steep inflation. In most of the countries, during the last year, inflation has taken place at the rate of 15 per cent to 20 percent. During the same period, in our country we have succeeded in bringing down the price level; and during last year there has been no rise in prices. I think it is a great achievement on the part of the Government. This would not have happened if the Government

[Shri Y. S. Mahajan]

had not made heroic efforts in the last 8 or 9 months. This great achievement cannot be minimized, whereas the Opposition parties always try to minimize the achievements of the Government in this country in the field not only of prices; but of economic development as well. They thought that their only work was to foment trouble, create disorder and to see that discontent increased and democracy in this country came into disarray and danger. Then, sir, production has also increased; and in the last 3 weeks particularly, there has been discipline in industries all over the country. Sir, during this session or as soon as the rainy season starts, schools and colleges also start functioning. And usually not a day passes when we do not hear about morchas by students, or students creating trouble in colleges, or closing down of some university or gheraoing some vice-chancellor or putting the university buildings on fire. No such incident has occurred during this month. There has been a great improvement in the law and order situation. Therefore, I say that this amendment, *i.e.* the application of the Defence of India Act to internal security is justified in view of what has happened during the last few weeks. With these remarks, I support the amendments.

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा): दो तीन मिनट में मैं अपनी बात अर्ज करूंगा। डी०आई०आर० का जो एमेंडमेंट लाया गया है इसको हम स्ट्रांगली स्पोर्ट करते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इस डी० आई०आर० के जरिये कामन मैन को भी कुछ राहत मिले। आज आलम क्या है? डी०आई० आर० में वे लोग पकड़े जाते हैं जैसा अभी मुझ से पहले राय साहब ने कहा जो पांच-पांच पैसे साबुन के अधिक ले लेते हैं या जो अपनी दूकानों में सौ रुपये का सामान रखे हुए हैं। मैं बड़े ही अदब से मालूम करना चाहता हूं कि इसी दिल्ली शहर में कितने होलसेलर्ज को, कितने बड़े ट्रेडर्ज को, कितने लोहे के सिंडीकेट वालों को डी०आई०आर० में पकड़ा गया है? सब से बड़ी बात यह है कि हमारे जो अफसर हैं वही उनको प्रोटेक्शन देते हैं। मैं अज करूंगा कि अगर एक एक एम०पी० से इस सिलसिले में आप मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि जिले के जिले ऐसे हैं जहां आर०एस०एस०, आनन्द मार्ग वगैरह का एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया है और उन जिलों में मुरादाबाद भी एक जिला है जहां पर एक भी शख्स आर०एस०एस० का नही पकड़ा गया है। मैं ने श्री बहुगुणा से कहा। उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर से बात कीजिए, मैं भी करता हूं। जब मैंने कसूक्टर को बताया, तो वह जवाब देते हैं कि मौलाना साहब, वे सब तो रूपोश है, सब छिपे हुए हैं। मैंने एक साहब का नाम बताया और कहा कि वह आर०एस०एस० के एक्टिव मेम्बर है, वह एम०एल०ए० रहे हैं, आज नही है, वह अभी कचहरी में मौजूद हैं। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिये, मैं अभी आप को दिखा देता हूं; अगर किसी और को कहा जायेगा, तो वह फ़ौरन उनको ग़ायब होने ने लिए कह देगा।

मैं सब के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी उन लोगो की मौजूद हैं, जो इन 27 सालो में वन कल्चर मूवमेंट, हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान की मूवमेंट के सिलसिले मे काम करते रहे हैं, जिनके दिमाग़ अभी भी उन ख्यालात से मुतासिर हैं। यू०पी० मे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं—मैं उनका नाम लेकर बता सकता हूं—, जो अपनी इब्तदाई उम्र में आर०एस०एस० के एक्टिव मेम्बर रहे हैं, और इस वक्त वह यू०पी० के एक बड़े जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और जैसा कि कहा जाता है, उनके वालिद आज भी जनसंघ के एक बड़े लीडर हैं।

मैं यह नहीं कहता हूं कि सब को फांसी दे दी जाये। लेकिन यह एक बहुत अहम मसला है। मिनिस्टर साहब डी०आई०आर० में एमेंडमेंट लाये हैं। मुबारक है। सरकार ने मीसा में एमेंडमेंट किया और हम ने उसको सपोर्ट किया, हालांकि मैंने होम मिनिस्ट्री की कनसल्टेटिव कमेटी के मेम्बर की हैसियत से पूरी कुव्वत के साथ कहा था कि हम पी०डी० एक्ट की भरपूर मुखालिफत करेंगे, चाहे यह कानून किसी भी नाम से और किसी शक्ल में आये। लेकिन जब हम ने देखा कि राइट रीएक्शन इस मुल्क को तबाह करने के दर पे है, और हालत बदल गई है, तो, हमें यह कहते हुए फख्र है कि हम इस बारे में शायद कांग्रेस वालों से भी आगे बढ़ कर इन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। मगर यह कांग्रेस वालों पर और ट्रेजरी बैंचिज पर कोई एहसान नहीं है। अपने मुल्क को बचाना और उसकी हिफाजत करना हमारी भी ड्यूटी है, हमारा भी फरीजा है।

लेकिन डी०आई०आर० का या प्राइम मिनिस्टर के हिस्टारिकल 20-पायंट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन किसके जरिये से होगा? उनका इम्प्लीमेंटेशन आफिशल्ज के जरिये होगा। मैं यह मानता हू कि सब आफिशल्ज खराब नहीं हैं। अखबारों मे रोज आ रहा है कि इतने आफिशल्ज को वक्त से पहले इम्पलसरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। ब्लिट्ज में छपा है कि बोकारो स्टील प्लांट मे कोई साहब, मि० आहूजा थे, जो एक करोड़ रुपये का गोल माल करके अब तशरीफ ले गये हैं। उनको यह बहुत बड़ी सजा दी गई कि उनको रिटायर कर दिया गया। इसी तरह रेलवे का एक स्टेटमेंट है—मैं नहीं जानता—कि नार्दरन रेलवे के जनरल मैनेजर, श्री परमेश्वरन, के बारे में शिकायतें थी और उनको रिटायर कर दिया गया। यह तो बड़ा अच्छा बिजिनेस है कि करोड़ों रुपयों का गोल-माल कीजिए और फिर रिटायर हो जाइये!

मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर कोई मिसाल दें कि हिन्दुस्तान के पच्चीस हजार से ऊपर गजेटिड आफिसर्ज में से किसी को मीसा या डी०आई०आर० में बन्द किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बड़े कैपिटलिस्ट्स को, जिन्होंने लोगों को लूटा है, मीसा या डी०आई०आर० में बन्द किया गया है। गवर्नमेंट कामन मैन को राहत पहुंचाने के लिए और इन जालिमों को नीचा दिखाने के लिए डी०आई०आर० का इस्तेमाल करे और ज्यादा से ज्यादा मजबूत कदम उठाये; हम पूरी तरह उसको सपोर्ट करेंगे। इस बारे में हम और कांग्रेस बिलकुल एक हैं।

लेकिन मालूम हुआ है कि जिला बहराइच में मस्जिद के एक इमाम, जो नमाज पढ़ाते हैं और जिन्होंने कोई काम नहीं किया, मीसा में बन्द कर दिये गये। मैं श्री बहुगुणा के पास मौजूद था। उन्होंने पूछा कि इस इमाम का क्या कुसूर है, वह तो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, यह नामुनासिब है।

इसी तरह जिला बरेली के एक साहब, मिस्रयार खां, एम० एल० ए०, को बन्द कर दिया गया। वह बी० के० डी० के हैं। बी० के० डी० का शायद हमसे ज्यादा मुखालिफ कोई नही होगा। उनका कुसूर क्या था? जिला बरेली के ही एक मिनिस्टर को उन्होंने हराया था। उनकी उम्र अस्सी साल है और उनको नजर भी नहीं आता है। उन्होंने बी० के० डी० की मीटिंग में डंके की चोट पर कहा था कि प्रैजिडेंट के इलैक्शन में मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद को वोट दूंगा और इस बारे में किसी की बात नहीं मानूंगा। यह एलान करके उन्होंने श्री फखरुद्दीन अली अहमद को ही वोट दिया था। लेकिन उनको भी बन्द कर दिया गया और कहा गया कि वह बड़े गड़बड़ आदमी हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आहिस्ता से टेलीफ़ोन पर कहते हैं कि उन्होंने फ़लां मिनिस्टर को हराया था। श्री बहुगुणा

[श्री इसहाक सम्भली]

ने कहा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तब उन को रिलीज कर दिया गया।

सवाल यह है कि जो आफ़िसर्ज इतने गलत तरीके से लोगों को गिरफ्तार करें और लोगों को हैरास करें, उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है। वैसे, हम मुस्लिम लीग के हामी नहीं हैं, हम उस के सख्त मुखालिफ़ हैं। लेकिन मुस्लिम लीग हमारी एलाई है, कांग्रेस की एलाई है। हम उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्या सरकार की यह पालिसी थी कि मुस्लिम लीगियो को पकड़ा जाये ? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के प्रैजिडेंट, डा० शमीम अहमद खां, को पकड़ा गया। जब मुझे मालूम हुआ, तो मैं ने श्री बहुगुणा को फ़ोन किया, और यहां से और साहबान ने को फ़ोन किया। तब उन को छोड़ा गया।

जो आफ़िसर इस तरह से मनमानी करें, ग़लत तौर पर गिरफ्तारियां करें और श्रीमती इंदिरा गांधी को, और उन के प्रोग्राम को, लोगों में अनपापुलर करने की कोशिश करें, जो मीसा और डी० आई० आर० मिसयूज़ करें, क्या उनके बारे में भी यह सोचा जायेगा कि उन से जवाब तलब किया जाये ?

मुल्क के डिफ़ेंस और आजादी की हिफ़ाजत के लिए और मुल्क को राइट रीएक्शन से बचाने के लिए सरकार जो भी कदम उठायेगी, कम्यूनिस्ट पार्टी पूरी कूव्वत के साथ उस के साथ रहेगी। मिनिस्टर साहब इस बारे में एक एमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट और तीसरा एमेंडमेंट लाये, हम उन के साथ है। लेकिन हम इन कानूनों का मिसयूज नहीं होने देंगे—हम यह नहीं होने देंगे कि जो लोग आम जनता को परेशान और तबाह करें, उन को आजादी रहे।

20-पायंट प्रोग्राम का नतीजा यह हुआ था कि चीजों की कीमतें कुछ नीचे आईं और कामन मैन ने रिलीफ़ महसूस किया। चीनी की कीमत 4.10 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। लेकिन कल सुबह मैंने मंगाई तो वह फ़िर 4.50 रुपये तक पहुंच गई है। लोगो में यह जो धारणा है कि हफ्ते, दो हफ्ते की बात है और फ़िर वही पुरानी हालत हो जायेगी, इस को रोकना होगा।

इस बिल को सपोर्ट करते हुए मुझे उम्मीद है कि इस का इस्तेमाल सही तरीके से होगा और पब्लिक को परेशान करने वाले आफ़िसर्ज और ट्रेडर्ज के खिलाफ़ डी० आई० आर० और मीसा का इस्तेमाल होगा। मैं अर्ज करूंगा कि जो आफ़िसर, बड़े ट्रेडर और कैपिटलिस्ट पकड़े जायें, उन के नाम अखबारों, ए० आई० आर० और टी० वी० में दिये जायें और बताया जाये कि ये लोग फ़लां जुर्म में पकड़े गये है। सब तरह के अफ़सरों को पनिश किया गया है, लेकिन नाम किसी का नहीं दिया गया है। उन लोगों के नाम जाहिर करने चाहिए और कामन मैन को राहत पहुचाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। इन अलफ़ाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस बैंचिज में सब से आखिरी बोलने वाले मेम्बर का नाम सब से नीचे दिया हुआ है। इस तरह मैं उन को सुनने से महरूम रह जाऊंगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कौन है ?—वह सरदार स्वर्णसिंह सोखी हैं।

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Defence of India Amendment Bill. The MISA and the DIR, these two Amendment Bills are two wings to bring discipline in the state of emergency. The amendment is brought to bring peace in the country for the development of the country. The Defence of India Act was necessary at the time of emergency when there was external aggression. But, at present, the Amendment Bill seeks to check internal disturbances. The Amendment Bills and the emergency which

we discussed in the House will be effective in the country in the period of emergency.

This emergency is declared for the first time in India after independence especially to check the internal disturbances. It was necessary because there are certain political parties which politically abuse the Ruling Party and try to establish their own image in the political field, and polluted the political scene in this country by which the democracy will be destroyed.

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair.*]

In politics, everything is not necessary. There is some limit to everything. There should be a check and this emergency is the check to the same thinking.

Sir, I heard one philosopher's remark. He said that there should be a watch for five everythings, and he literally, letter by letter, analysed what "WATCH" meant. That means if you watch your Words, watch your Action, watch your Thought, watch your Character and watch your Heart, then actually everything will be set right. It was Political Science. But now the "politics becomes the science of who gets what, when and why" This is another thinker's version. There is no doubt in my mind that the Defence of India Amendment Bill and the MISA will bring peace in the country.

India is a big country. When some disturbance occurs in the country, may be very few tolerate it but a large number cannot tolerate it. If we watch certain politicians, certain political parties, we will see that it is they who created chaos in the country. Is it not essential to check this chaos in the country? It is for this purpose that emergency was imposed. The 20-point economic programme announced by the Prime Minister will be implemented immediately by using these powers. Previously, it was due to certain elements that the economic programmes and policies which the Congress Government had adopted and which aimed at eradicating social injustice, economic inequality, could not be implemented fully. It will now be possible to implement it fully within a short period.

I have seen that there was escapism indulged in both by bureaucrats and democrats. By bureaucrats, I mean officers, they have escaped from the people by shifting the responsibility. By democrats, I mean politicians and political parties, certain political parties and politicians have escaped from the people by blaming each other. This cannot help the progress of the country. There should be responsibility of the politicians as well as the bureaucrats, the officers, to the people. When I spoke on the MISA, I had said that there are four Ps who are responsible for the progress of the country. One 'P' is the people; the second 'P' is the politicians or the political parties; the third 'P' is the press and the fourth 'P' is the personnel and the policies for the people. If there is no discipline of these four Ps, the country cannot progress at all. The MISA and the DIR will definitely bring about discipline amongst these four Ps by which there is no doubt that we will achieve something within a short period.

About fascism, a lot has been said. With your permission, Sir, I would like to quote what fascism is. I would like to give a few quotations:

"The fascists cannot argue;
so, they kill."

(Victor Margueritte)

[Shri Giridhar Gomango]

"Fascism is capitalism plus murder."

(Upton Sinclair)

"The love of money is the root of all fascism."

(Grant Singleton)

This is the fascist trend which was likely to set in the country, I have great respect for the press. But you will recollect what role had been played by the press. Last year, in the *Hindustan Standard,* one single line created disturbance between Orissa and West Bengal. If such type of news and views are to be carried by the newspapers which will pollute the minds of the innocent people, then, I think, the press publicity is unnecessary for our country. Newspapers have to carry news from North, East, West and South, and if a newspaper carries views as news, then it is not a newspaper at all.

In the present situation, people are very anxious to see development by the four 'P's. I think, only discipline will bring about this sort of thing.

My hon. friends have expressed some doubts about the use of DIR and MISA. They say that these should not be used for political purposes. Yes; I agree; these should not be used for political purposes But, at the same time, I would like to say that one cannot escape under political protection. If a person does some bad thing which is anti-national and anti-social, he may be a politician, but he cannot escape from the law on the plea of 'political' protection. There may be some misuse, but we cannot say that these Bills which Government have brought before the House would be used for political purposes. There is a Sanskrit verse, *Bishakumbham Payomukham:* suppose, there is a pot which contains poison but which has, on the top, some honey, we cannot say that it is a honey-pot; it is a poisonous pot.

I am sure the MISA and the DIR will check all the evils.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): Mr. Chairman, while speaking on this Defence of India (Amendment) Bill, I would like to point out that nobody will grudge giving more powers to the Government or making the laws more stringent when there are extraordinary situations prevailing in the country; when not only the integrity of the country is threatened but the well-being of the people is also in danger. Strong action has to be taken definitely against those mischievous elements which spread hatred, which want, and try to see, that lawlessness prevails in the country; and action has also to be taken against the profiteers and the hoarders. These things have to be done, and sometimes such action becomes necessary. But what we fear is that, when we give more and more powers to the Government and the officials, there might be abuse of power and the power might be misused. Not only the officials may tend to become more brutal and prejudicial against some persons, but it is also possible that the State Governments also may use these powers against their political opponents. Therefore, safeguards must be there against such misuse and abuse. The Central Government has to keep a very strict watch to see as to how these powers are used. But I want to point out one thing. As far as the bureaucrats are concerned, it may be that many of them are fair-minded and are responsible, but nobody can deny—and it is an admitted fact—that the RSS mentality has infiltrated into the officials also. That is why, we see today that, while innocent people are being arrested and put behind the bars, many of those who have been responsible for spreading

hatred in this country, from whose offices arms and swords have been recovered,—the leaders of such parties, militant communal parties, I mean the RSS—are just walking free in various parts of the country. Therefore, what I fear is that the officials are not utilising the powers given to them in a proper manner; they utilise the powers only to take revenge against their enemies. They do not take action against forces like RSS and Anand Margis. The main object of the emergency, as I feel, is to crush this extreme element of right reactionaries and left extremists. This is what the Government wanted to do, but sometimes because of the latitude given by the officials to these elements, these powers are not properly used against the disruptive forces and they are instead misused against the innocent.

Mr. Chairman, Sir, you just now pointed out that Dr. Shamim Ahmad Khan, our President of UP Muslim League was arrested. In the same manner, our President of Rajasthan Muslim League, Mr. Manzur Alam was arrested. Both of them were released at the intervention of the Central Government. When this was mentioned to the Prime Minister, she was surprised that such a thing should have happened, because they had issued no orders against Muslim League. I met the Home Minister, Shri Reddy, Minister of State Home Affairs, Shri Om Mehta assured me that there was nothing against the Muslim League, but what is going on? Our President of Delhi Pradesh Muslim League was arrested, of course, released in Delhi later. But, Sir, the Muslim League Member of the Metropolitan Council, Dr. Mohammed Ahmad and Mr. Iqbal Ahmad, our General Secretary are still behind the bars, under MISA. The Prime Minister says, she has nothing against us; the Home Minister says that instructions have been issued to officials for the release of arrested Muslim Leage leaders and workers but the local authorities are adopting delaying tactics. One month has passed and we have met the various authorities and assurance was given to us that they would be released very soon. Why this is happening, I cannot understand.

The Prime Minister is the supreme head of the Government. The Home Minister is there to look after the law and order situation. When the local administration behaves like this, it is really surprising. Moreover, we are given an assurance that no more arrests will be made as far as Muslim Leaguers are concerned, but our executive Committee member was dragged from the house without any notice. Two or three persons were arrested from *Jamuna par* area at Jafarabad and two persons were arrested from Balimaran area. They were brought to the court and released on bail. Then they have been re-arrested under DIR. We cannot understand, such a behaviour. All this misuse of power has to be looked into.

No doubt, we feel that at the time of emergency when extraordinary situation is prevailing in the country, Government should give more powers to officials, but they should also see that these powers are not misused That is why, we sometimes feel very much hesitant to support such measures which give more powers to officials. Therefore, I would request the Home Minister to see that these things are set right and injustice is not done to anybody

Further, Sir, now-a-days, there is censor of the press. Nothing can appear in the press without being censored. Even cartoons are not allowed to be printed. There is no interest in the newspaper. There is nothing except the official version of what is happening in the country. What Members of Parliament speak inside the House, the public cannot know that and also members of Parliament cannot know what is going on outside. Why? When you can give the speeches of the Ministers

[Shri Ebrahim Sulaiman Sait]

and their reply at length, you must also give a summary of the speeches of the Members of Parliament, both from the treasury benches and opposition benches. Unless this is done, how can the people know, who are the people who have not left the House and are supporting the emergency. We want the Government to function. We are those who have not joined the right reactionaries and militant communal elements. All the right reactionaries and left extremists have walked out. And here we have got the Ruling Congress and those Parties who really love their country, who really want that peace should prevail in the country and who really feel that the reactionary elements should be destroyed in the country and democracy should function properly. As far as the Muslim League is concerned, our position has been very clear. There cannot be any doubt about it. Even in 1971 when the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, had no majority in the House, it is the Muslim League, the CPI and the DMK that suported the Government in all their progressive measures whether it was the abolition of the privy purses or whether it was the nationalisation of banks. Again, our Party with the CPI and the Congress in Kerala is supporting all the progressive measures and whenever there was a danger to the integrity and independence of the country, the Muslim League has always stood as one man with our brethren to safeguard the integrity and independence of the country Our record is clear and there is nothing to fear or hide. We have nothing up our sleeves. We are here to protect the rights enshrined in the Constitution. I told the Prime Minister the other day that ours is a family quarrel when we fight for our rights. But whether it is the foreign policy or the economic policy we are with the Government Ours has been a consistent stand. Here, you give so much authority to the local people and the police but you must see that justice is done to the minorities so that they may not get antagonised. Today people have faith in the leadership of the Prime Minister at this period of national crisis. We want that people should come round more and more to support the Prime Minister in her 20 point economic package because they are in the best interests of the country so that the country may be saved from chaos, confusion and anarchy and the reactionary elements are put down with a firm hand and should progress towards economic and industrial development.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): I rise to support the Defence of India (Amendment) Bill, 1975. I am perhaps the happiest man to-day when I find that there is a change brought about in the country. Emergency has been declared and there is a wind of change blowing throughout the country

I must say that we should not get complacent simply by making this amendment We should not think that merely by changing the name of the law we are going to achieve the objective behind it. We have a number of laws like Prevention of Unlawful Activities Act and so many other laws as also the Defence of India Rules What is more important is their implementation.

I see here it is said 'external aggression and internal disturbance'. It would be more appropriate to call it 'external aggression and internal dissension.' We should not worry about disturbances. It is not a communal disturbance It is internal dissension

Then again I find here 'Defence of India and Internal Security Act'. I cannot think of defence of India without internal security. Civil defence is internal security. It is all

more terminology and let us not create confusion. DIR everybody knows. So it may remain like that. But I have not placed any amendment. Let us not go by the name. Let us implement the law in its proper spirit.

It has been rightly brought because we want to strengthen democracy in the country. We know that during the last one year or so there had been a climate of violence everywhere in our country Howsoever much these opposition parties are willing to do a lawful act, the manner in which they have acted, tended to create violence in the country and the system did not instil confidence in the people. People were afraid to walk in the streets. We also know that everywhere people used to go for satyagrah so that elections may be held earlier than the due date. The relations between the teachers and the taught, between the employers and the employee were disturbed. We have also seen the situation in Gujarat I was alarmed to see the situation there when I was in Gujarat during recent Assembly elections in June last. I was gheraoed twice. In our country if we have not been able to respect the Members of other political parties and other people and if we do not have respect for the leaders of another party, then, definitely, I think that internal dissension poses a greater danger than external aggression.

We have helped Bangla Desh in war against Pakistan. Whatever actions had been taken were taken rapidly. What is reallv necessary is to implement things vigorously

We have been brought to a situation which was really dangerous. Some people used to indulge in anti-national and anti-social activities. They were let scot free whereas small men were put behind the bars.

On 30th June, 1974 we wanted to have a demonstration at Ranchi of 7,000 tribals with bows and arrows. Shri Jayaprakash Narayan was supposed to come. A car was loaded with guns and I was supposed to be shot dead on that day. The way in which things were moving, if you could have allowed things to move like that, then to-day we would have had a very bad time. If a drunken man is left to himself he might do injuries to himself alone. But if a drunken person is given the control of the wheels of an automobiles then in that case he can knock down crores and crores of people before he can break his own neck. That was the stage we had reached.

We were having the trouble in the sense that the big leaders were trying to dislodge the Prime Minister from the seat of Prime Minister. I can go to the extent of saying that the voice was so loud, the actions were so great that from the walls of the High Court of Allahabad one could hear the dictates of these people. Whatever decision had taken place, let us be very clear, let us not forget that it was a remarkable coincidence according to them. I might say that it was a strange coincidence the type of which I never came across in my life. The Bangladesh war was fought. With all the maturity of judgment of the Prime Minister she failed in this context because she could not foresee the people who fought from within. A close friend is more dangerous than even the deadliest enemy. I welcome this power which is being taken under the emergency rules and under the DIR. We should not make too much fuss of it. Mr. A. K. Gopalan once said to the Prime Minister that her voice alone would be heard outside. He ought to have realised that it is not the voice of the Prime Minister but the will of the people. She got the heaviest mandate from the people in 1971 and 1972 in the Lok Sabha and Assembly Elections of States. The will of the people is the

[Shri Kartik Oraon]

law of the land. Whosoever will try to destroy this will himself be destroyed.

Sir, we welcome the move that has been taken by the Government but all that we have to do is to strengthen that and to see that the rules are rigidly implemented. Let there be no opposition simply to oppose whatever is brought by Government. They say that their duty is to oppose, oppose and oppose. But that is the sad part of our democratic institutions. They are not prepared to support what is good and what is right; their duty should be to support what is good and what is right and to oppose what is wrong. That is why we should support the stand taken by the Government, regardless of whether one is in the opposition or in the Government side.

श्री राम हेड़ाऊ : (रामटक) सभापति महोदय देश की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त होना प्रजातन्त्र में अनिवार्य होता है। देश में यह स्थिति निर्मित हो गई है जिसे हम स्वाभाविक स्थिति नहीं कह सकते। अस्वाभाविक स्थिति जरूर पैदा हो गई। लोग रोटी के लिये तरसने लगे, बेकारी के मारे लोग परेशान हो गये, मंहगाई के कारण लोग चिंतित हो गये और इस स्थिति में लोग अपनी मांगों को ले कर आगे आगे बढ़ने लग गये। प्रजातन्त्र में अपने हक मांगने का अधिकार है जिस का प्रावधान संविधान में है और जनता को अधिकार होता है और जनता सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करती है। उस में आंदोलन का भी एक महत्व-पूर्ण रिया होता है। आंदोलन कब होता है? जब सरकार जनता की जरूरतों की ओर ध्यान नहीं देती। तब सरकार को बाध्य करने के लिये आंदोलन का एक मात्र जरिया बच जाता है और उस का प्रमाण हम देखते हैं कि आंदोलन इस देश में अधिक बढ़ने लग गये थे। यह स्थिति जो बनी, इस आंदोलन को दबाने के लिये यदि डी० आई० आर० में अधिक अधिकार प्राप्त करते हैं तो मैं कहूंगा कि जनता के अधिकारों पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। मुंह हो कर बोलना नहीं, कान हो कर सुनना नही, आंख हो कर देखना नहीं यदि ऐसे ही डी० आई० आर० का उपयोग होने लगे, पेट में भूख लगी हो तो लोग रोटी न मांगे, प्यास लगी हो तो पानी नहीं मांगना, बेकार हो तो काम नहीं मांगे, इस दृष्टि से जनता को दबाने के लिये यदि डी० आई० आर० का उपयोग होगा तो मैं इस का समर्थन नही कर सकता। वास्तव में हम देख रहे हैं कि डी० आई० आर० का उपयोग अपोजीशन के लोगों को जेल के अन्दर रखने के लिये हो रहा है। अपोजीशन प्रजातन्त्र में एक महत्व-पूर्ण अग है, सच्चा अपोजीशन प्रजातन्त्र का रखवाला होता है, अच्छा अपोजीशन न हो तो सत्ताधारी मनचाही करेगा। लेकिन अपाजीशन की जिम्मेदारी भी होती है क्योंकि वह भी जनता के हितो की रक्षा करता है।

आज हमारे सामने डी० आई० आर० आया है। आज देश मे दो प्रकार की विचार-धारा है कि सरकार जो कुछ कर रही है उस में जिन लोगो के आर्थिक और वेस्टड इंटरेस्ट हैं उन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वह कुचले जा रहे हैं इसलिये वह नाराज हैं, काला बाजार करने वाले नाराज हैं। जो सत्ता चला रहे है उन को ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के बाहर उन को फेंका जायगा। इसलिये वह भी नाराज है। अफसर लोग जो अंग्रेजों के जमाने में बर्ताव करते थे आज भी वैसा ही कर रहे हैं, उन को लग रहा है कि जो नया परिवर्तन हो रहा है उस से हमारे अधिकारों पर धक्का लग रहा है। वास्तव में इसका उपयोग गलत तरीके से नहीं होना चाहिये। कोई राजकीय दुश्मनी को

अमल में लाने के लिये इस का उपयोग नहीं होना चाहिये। डी० एम०, कमिश्नर आदि को भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से दुश्मनी होती है। तो उस दुश्मनी को निकालने के लिये भी डी० आई० आर० का प्रयोग नहीं होना चाहिये। जो लोग काला बाजार करते हैं, काला धन बनाते है उन को जरूर बन्द किया जाना चाहिये। जो अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं करते उनके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो इस से जनता की भलाई होगी। सर्वहारा की भलाई के लिये, देश की सुरक्षा के लिये अगर इस कानून का उपयोग होता है तो मैं इससे दिल से समर्थन करने के लिये तैयार हूं।

आज डी०आई०आर के अन्दर कई नेता बन्द हैं। क्या सरकार को ऐसा लगता है कि यह राजकीय नेता सब देशद्रोही हैं? यदि सरकार इस ढंग से सोचती है तो यह उस की भूल है। हो सकता है कि आज सत्ता आप के हाथ में है, कल इधर बैठे हुए लोगों के हाथ में आ जाय। लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि हम डी०आई०आर० का उपयोग कर के अपोजीशन को दबायें। डी०आई०आर० का उपयोग जो समाज विरोधी तत्व हैं उन को कुचलने के लिये जरूर कीजिये। और इस का सही इस्तेमाल करने के लिये सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। ताल्लूका लेबिल पर, डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर और प्रांतीय लेबिल पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वे किसी भी पक्ष के हों, की एक समिति गठित की जाए और वह सब स्थिति को देखे कि डी० आई० आर० का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इस की जिम्मेदारी आप उन को सौंपिये और वह देखेगी कि कलक्टर कैसा काम कर रहा है। वह छोटे आदिमियों को कुचल रहा है और बड़े आदमियों का साथ दे रहा है या नहीं, लोग पैसा खा रहे हैं और राष्ट्र विरोधी कार्यवाही जारी है या नहीं। इस सब स्थिति को वह समिति देखेगी और यह भी देखेगी कि डी० आई० आर० का सही इस्तेमाल होता है या नहीं।

13 hrs

अभी हमारे सभापति जी ने भाषण में कहा था कि कीमतें बढने लगी हैं। जिनके स्वार्थों पर धक्का लगा था, उन को यह लग रहा है कि यह स्थिति कायम नहीं रहेगी जैसे कि मीज़ा के अन्दर कुछ स्मगलर्स को बन्द कर दिया था लेकिन बाद में कानून के आधार पर वे बाहर निकल पड़े और फिर से उन का धंधा शुरू हो गय था। वही स्थिति फिर से यदि इस के बाद भी होती है, तो यह आप का डी० आई० आर० और मीज़ा कोई काम नहीं देगा। इस पर अमल होना बहुत जरूरी है और अमल करने के लिए आप को सब का सहयोग लेना होगा। विरोधियों को आप दुश्मन न समझें, विरोधी भी देश की सेवा करना चाहते हैं। आप जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए हम जैसा आदमी चौबिसों घंटे सहायता देने के लिए तैयार है लेकिन रचनात्मक कार्यों के विरुद्ध अगर कानून का दुरुपयोग हो, तो इस की शिकायत करनी ही पड़ेगी। मुझे मालूम है कि मीज़ा के नाम पर मुझे भी तीन महीने तक बन्द रखा गया था। क्या गुनाह किया था मैंने? मैंने सिर्फ विदर्भ की मांग की थी। मेरा यह विचार है कि छोटे छोटे राज्यों से शुद्ध प्रशासन का निर्माण हो सकता है और बड़े-बड़े राज्यों के होने से वहां की जनता को इंसाफ नहीं मिल सकता और सर्वहारा वर्गों का उत्थान नहीं हो सकता है और पिछड़े लोगों को राहत नहीं मिल सकती है और बड़े-बड़े राज्यों में ऐसे दादा लोगों का निर्माण होता है जिन के कारण केन्द्र की शक्ति भी दुर्बल हो जाती है और उन राज्यों की भी उन्नति नहीं होती। इसलिए मेरा कहना है कि छोटे-छोटे राज्य होने चाहिए। विदर्भ पिछड़ा हुआ है और विदर्भ की जनता नहीं चाहती कि वह महाराष्ट्र के साथ रहे और इसी बात

[श्री राम हेड़ाऊ]

को लेकर हमने आंदोलन छेड़ा था और हम को जेल के अन्दर मीज़ा का इस्तेमाल कर के डाल दिया गया। जनता की मांग क्या है और उस की क्या भावना है, यह हम को देखना चाहिए और जनता की भावनाओं को महत्व देना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र आम जनता के लिए है और मुट्ठी भर लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए नहीं है। इस दृष्टि से हम को भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार यदि मीज़ा का दुरुपयोग होता है तो हम लोग इस का विरोध करेंगे लेकिन यदि इस का सदउपयोग होता है, तो विरोधी दल में होते हुए भी मैं और मेरी पार्टी महा-विदर्भ राज्य संघर्ष समिति, जो छोटे-छोटे राज्यों की मांग करने के लिए आगे बढ़ी हुई है, दिल से स्वागत करेगी। मैं इस समय 21 सूत्री कार्यक्रम के बारे में नहीं बोलना चाहता और उस पर मैं अलग से बोलूंगा। मैं सभापति जी के द्वारा सरकार से कहूंगा कि यह संशोधन जरूर अमल में लाया जाए और ठीक ढंग से अमल में लाया जाए।

मैं इस का स्वागत करता हूं बशर्ते कि इस का दुरुपयोग न हो।

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore): Mr. Chairman, Sir, while discussing the Defence of India Act and the relevant amendments, I am reminded of a book, a very famous book, which has been published by Faver and Faver of England. The name of the book is 'The use of force in international relations'. Mr. Chairman, Sir, this book written by Mr. F. S. Northedge, has shaken the very foundation of political thought in recent times. What does it write? It writes that the gun boat diplomacy of Mr. Kissinger is over; that the process of diplomacy, the thought of diplomacy and the character of diplomacy has changed and it bears relevance to what is happening in the Far East and Near East, particularly, in India What has the book written? It is not the gun boat diplomacy. Firstly, subversion. Secondly, manipulation of public opinion. Mr. Chairman, Sir, if we study the current of Mr. Jayaprakash Narayan's movement in India in recent times, this book has its relevance. Manipulation of public opinion; public opinion has to be manipulated in a way to create disturbance in the country. Thirdly, enough publicity, which means, newspapers and newspaper editors should be controlled in a way that they will write definite sets of editorials to mould opinion against the establishment. Fourthly, the book writes, the threat of public action. Threat of public action means, at J. P. has said, no tax; Janata Raj; peoples' Raj; peoples' Court, and last is internal unrest, by overt and covert action to unseat the establishment. Sir, if we study this book, it bears relevance to the internal disturbances through which the country was passing. I hope that this amendment in the Defence of India Act will certainly put down and curb the internal disturbances and the manipulators of these disturbances

Using this DIR, Mr. Chairman, we should arrest the big landlords who are troubling the poor peasantry; we should arrest the smugglers who have completely made our economy corrupt—smugglers, Mr. Chairman, building houses on the Marine Drive of Bombay, houses having swimming pools, houses having bars and houses having cinemas, things we poor people cannot think of. Using this DIR, we should also try to curb the income-tax evaders. Mr. Chairman, London Economist writes that tax evasion in India is the maximum. It is a slur on us that having this MISA and DIR, we are not yet able to put our economy on the sound track. I hope, during this emergency, MISA and DIR will be used in such a way that our economy will be stabilised and the persons, the wrong doers who are trying to make our economy corrupt who are trying to make our economy follow the wrong track, are put behind the bars.

Sir, there is no denying the fact that the country is passing through an emergency, emergency having the threat of foreign aggression. Sir, the very conception, the very connotation of aggression has changed nowadays. It is not marching the Army on the soil of other countries. It is sabotage and it is subversion. This is a part of international diplomacy nowadays. If we study the politics of recent China, if we study the politics of recent America and if we study the politics of several imperialist countries, we will find that a large chunk of their money, a large chunk of their budget is unaccounted for, which is being spent on foreign intelligence. There is no denying the fact that such agencies are definitely working on the soil of India to subvert our national economy and to liquidate our political stability. Under the leadership of our Prime Minister, this emergency is bound to be a success in the sense that there is participation of people in it. I have personally felt the pulse of the poor peasantry and the poor working class who are looking towards the leadership for some conviction, for some courage, for some approach with tenacity and they feel that during this emergency we will be able to sort out things in a way that our economy will be stabilised and that the big landed aristocracy, the big business magnates, the smugglers, the hoarders, the racketeers, the black marketeers and all those who are criminals in the sense of economic black legs will be put behind the bars.

In December 1971, Shri Pant, while placing before the House the Defence of India Act said:

> "It was an extraordinary measure to deal with an extraordinary situation. The special powers sought by the Government were for the defence of the nation and to ensure public safety and public interest".

It is true that we are passing through an emergency and an extraordinary situation. In this extraordinary situation, the Government's hands should be strengthened in a way that the Government should deal with the culprits in an extraordinary manner.

To those who think that democracy's death-knell had been sounded by this emergency, I would like to say what most of the important newspapers of the world have said. In England even the *London Times*, in Yugoslavia the *Politika*, in USSR the *Pravda* in Malaysia. *The Singapore Times* in Nepal *The Nepal Times*, in Canada the *Canadian Herald*—all the international newspapers have said in unambiguous terms that there was no way left for the Prime Minister and the leaders of this country but to resort to this declaration of emergency, to resort to this step, this extraordinary step, to check for the time being the great periphery of unlimited democracy. I think we have come to a point when we should think that the country is bigger than democracy. As the Prime Minister once said, the interest of the country is certainly bigger than the basic definition of democracy which gives freedom to a small number of people. We want freedom for the greatest number of people, the largest number of people, the greatest good to be delivered to the greatest number. What is the general will, as Russoeau said? The general will today is symbolised in the action of the Government and if this action is fruitful in the sense that we can deliver the goods for the benefit of the poor people, the peasantry, the working class, youth, students, poor women, the vulnerable sections, the Harijans and the tribals, I think we should think that we have done the job.

Concluding, I would say that the Defence of India (Amendment) Act should now be aimed at giving relief to the peasantry, to the working class, to all and to put the subversive elements behind bars, in concentration camps—I use the words in the sense that they should feel that Government will deal with them with an iron hand and they cannot subvert our economy.

*SHRI S. A. MURUGANANTHAM (Tirunelveli): Mr. Chairman, Sir, the Communist Party of India on earlier occasions had opposed the Acts like the Defence of India Act. But now the Communist Party of India wholeheartedly extends its support to this Defence of India (Amendment) Bill, and the basis for this support is that independence and internal security of the country have been endangered by the actions of vested interests and reactionary forces.

In my opinion, the efficacy of Emergency and the provisions of Defence of India Act will be judged by the fact how they are being implemented. The non-Congress Government in Gujarat may fall any day. Only yesterday there was a controversy as to who should be the nominee of Janta Morcha for the Rajya Sabha seat from Gujarat. I am not much concerned about the Gujarat Government. But I am really worried about Tamil Nadu from where I hail.

In Tamil Nadu the entire Government machinery is being utilised, in fact exploited, for party purposes by the Chief Minister, Thiru Karunanidhi. Thiru Karunanidhi, the Chief Minister, and his D.M.K. Government in Tamil Nadu are opposing the Emergency and the Defence of India Act, The Chief Minister, Thiru Karunanidhi, is the Chairman of D.M.K. The D.M.K. under his chairmanship has passed a Resolution stating that all the patriots of the country have been arrested by the Central Government. It is common knowledge that all the patriots of the country have not been arrested under this Act. Yet the Resolution passed by the D.M.K. says that. Only those American spies and the reactionary groups which had come under the umbrage and leadership of Jayaprakash Narayan to barter away the country's freedom have been arrested. But this fact has been denied by Thiru Karunanidhi, and he continues to harp that all the patrios have been arrested.

In a recent public meeting in Tiruvadanai, the Chief Minister of Tamil Nadu stated that in order to make the lips red one should take the betel, betel nut and the lime together. Similarly, to embellish democracy, the Opposition Parties should be there, and the Government should not suppress Opposition in a democracy. He added that if one takes tobacco along with betel it activates him. He has compared the R.S.S., the Naxalites, the Anand Margis to tobacco, which activise democracy. With a band of 3.5 lakhs of trained cadre, such organisations grew in strength from the murder of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi till the murder of L. N. Mishra. Yet, Karunanidhi compares the R.S.S., the Anand Margis and such other anti-national groups to the so-called activising tobacco. In yet another public meeting, he stated that if one pricks the tooth, the blood comes out, if four teeth are broken, blood comes out Similarly, according to Thiru Karunanidh, Shrimati Indira Gandhi has broken the teeth of democracy and brought out blood.

Sir, the censorship is so strict that what the M.Ps. say on the floor of this House is not given to the Press; what we say here does not come out in the newspapers. But, we do not know what kind of censorship is applied in Tamil Nadu. We do not know whether the Central Government Censor Officer is there in Tamil Nadu or not. If you go through English Weekly "RISING SUN" edited and published by the nephew of Thiru Karunanidhi, Shri Murosoli Maran, M.P., you will find that every day the Indian democracy and the steps taken by the Central Government are ridiculed and made fun of. In the Tamil Daily MUROSOLI, Shrimati Indira Gandhi has been depicted as Hitler. There were six Cartoons in that newspaper. In the first Cartoon Shrimati Indira Gandhi has been shown

*The Original speech was delivered in Tamil.

as a woman. Step by step, in the second and third Cartoons she became a man. In the fourth Cartoon, she has been shown in the form of Hitler; in the fifth, the moustache of Hitler appears and in the sixth she is shown as Hitler with the raised hands. These Cartoons have appeared in MUSOSOLI, edited and published by Shri Murosoli Maran, M.P. I wonder how did the Censor permit such Cartoons to appear in a newspaper. On the second day, the same "MUROSOLI" depicts the murder of Indian democracy and its coffin being carried. On the third day, quoting a poem of the great patriot-poet of Tamil Nadu, Kavichakravarthi Subramania Bharathi, Shrimati Indira Gandhi is being attacked from behind the poem of Bharati. The meaning of the poem was: this freedom which we allowed to sprout is being destroyed by Shrimati Indira Gandhi. I would like to know where is the censorship in Tamil Nadu.

In a public meeting in the beach, a Resolution was read out opposing the policies of Shrimati Indira Gandhi, which *inter alia* referred to what Mahatma Gandhi would have said if he were alive and what Anna Durai would have said if he were alive. The gathering was made to stand and take a vow. An attempt was made to convene a Conference demanding State autonomy. Who were the men behind this attempt—not only the leading lights of the D.M.K. but also one Adiyar working in MUROSOLI who is running a paper entitled NEETROLAI It was reported that a Conference demanding State autonomy was convened and an Opposition Party attempted to oppose that move and some were arrested and then released. All this was stage-managed.

Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu has been making fun of the Emergency and the Defence of India Act in the public meetings. I will give you one more example, by referring to what a responsible Minister of Tamil Nadu Government stated. Navalar Nedunchezhyan, the Education Minister of Tamil Nadu, referring to 20-point economic programme of the Prime Minister, Mrs. Gandhi stated "we have got more wonderful schemes; what is this 20-point programme; give us 2000 crores of rupees; we will implement them and show to you". This is how Navalar Nedunchezhyan has made fun of the 20-point programme of the Prime Minister. I will narrate to you what the Health Minister of Tamil Nadu, Perasiriyar Anbazhagan stated in another public meeting presided over by the Chief Minister of Tamil Nadu Mrs. Indira Gandhi was ridiculed in that meeting. He said that India will continue to live after Indira Gandhi.

Every day in the newspapers we come across news items about the arrest of smugglerrs and conspirators. Recently, the Chief Minister of Madhya Pradesh announced the arrest of a former Prince of Madhya Pradesh and a Jan Sangh M.L.A. with a transmitter capable of sending and receiving news from all over the world. Have we come across the arrest of a smuggler, black-marketeer, hoarder or tax-evader in Tamil Nadu? No. I begin to doubt whether the Tamil Nadu Government is giving protection to the conspirators and their ilk in Tamil Nadu. The Tamil Nadu Chief Minister, Thiru Karunanidhi, is adept in political tricks. He says that, if the Central Government remove the State Government, we will proclaim from house-tops that the Central Government has destroyed democracy in the country; we will come back to power with greater strength. In this manner, the Chief Minister of Tamil Nadu through his newspapers and public meetings is violating the provisions of Emergency and Defence of India Act. It was reported that 6750 people had been arrested in the Uttar Pradesh. Which smuggler, conspirator, hoarder, black-marketeer or a tax-evader has so far been arrested in Tamil Nadu?

Sir, the Delhi Television Centre was the first to go in flames. After that,

[Shri S. A. Muruganantham]

the 14-storey building in Madras belonging to the LIC and the Central Government went aflame. I have no doubt that this is the result of a well-hatched conspiracy. If the State of Tamil Nadu is not to become a haven for R.S.S., Jan Sangh and such other anti-national forces, the Central Government should vigorously implement the provisions of Emergency and Defence of India Act. The Central Censor Officer should function with great verve and vigour in Tamil Nadu to ensure that the D.M.K. Newspapers adhere to certain principles. The Central Government should bear in mind that the danger to the internal security of the country has not yet been defeated. Many underground conspiratorial elements will come to the surface under the aegis of the State Government and cause havoc and destruction. I will conclude by saying that the Central Government should be courageous enough to remove the State Government with anti-national bias in its working.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF (Kanakapura): Mr. Chairman, Sir, first of all, I think you for having given me an opportunity to participate in this most important discussion on the Bill to amend the Defence of India Act 1971 to cover internal disturbances and to replace the Ordinance. The Emergency has been declared on 25th June, 1975. The sudden and immediate reaction of the people was that there was a sense of relief among them. Sir, you can also find that there is a sense of discipline everywhere. Everywhere people are more happier than ever and now they are saying that this measure ought to have been taken much earlier. Now the people are happy to know that the democracy is safe and strong. There is normalcy everywhere. Every individual is carrying on his or her normal work. Everyone is happy at home and outside. The Emergency and its measures have exposed many unhealthy acts of some organisations and individuals. If this Emergency is to be a meaningful one and if it is to be mpre effective, I would appeal to the Government kindly to make use of this opportunity for bringing forward some more measures. I would suggest to the Government to help improve the living conditions of the people and eradicate the evils of the society by introducing some more measures like 'censorship of films'. In the name of box-office films, all sorts of obscene things are shown there by which our younger generation is getting spoiled. This should be stopped. Secondly, 'caberet shows' in various hotels should be stopped. Thirdly, if the Government is prepared to make up its mind to introduce total prohibition, it will definitely help improve the welfare of the weaker sections. Finally, all unhealthy and undesirable literature should be banned immediately. This will help maintained our freedom in a most meaningful manner. The misuse of our country's freedom by a few organisations and the anti-social elements should also be avoided. In addition to the political freedom, this amending Bill will help the Government to ensure social and economic freedom and for implementing the 20-point economic programme announced by ouur beloved Prime Minister. The very fact that the Prime Minister has asked the people to participate both in the planning and implementation and the efforts being made in that direction prove that democracy is stronger and meaningful.

With these words, I support this Bill and hope that the suggestions I have made will receive the serious consideration of the Government.

श्री नागेश्वर द्विवेदी : (मछली शहर) सभापति महोदय, मैं भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक का, जो सदन के सामने प्रस्तुत है, हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ समय पूर्व देश में जो आन्तरिक स्थिति पैदा हो गई थी, कुछ राजनैतिक पार्टियां जिस तरह एक कार्यक्रम और योजना बना कर देश में अशांति और उपद्रव पैदा करना चाहती थीं, उस को देखते हुए यह विधेयक पहले एक अध्यादेश के रूप में लागू किया गया। यह

कदम बहुत सामयिक है और देश की स्थिति पर इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि सर्व-साधारण ने इस का हार्दिक स्वागत किया है।

जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है, वास्तव में आम जनता में इस बात की बड़ी चर्चा है कि अगर यह अध्यादेश कुछ और समय पहले लागू हो गया होता, तो शायद देश को जो हानि उठानी पड़ी है, शायद वह न उठानी पड़ती और देश को पहले ही बचा लिया गया होता।

विदेशी आक्रमण के कारण देश में 1971 में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। उसके रहते हुए अब आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति को देखते हुए आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की गई है। यह बहुत आवश्यक हो गया था। बाहरी शत्रुओं ने देश में अशांति पैदा करने के लिए जो योजना बनाई थी, देश की उससे जैसे सुरक्षा की गई, उस की देश में ही नहीं, आखिर में दुनिया में भी उसकी प्रशंसा की गई।

कुछ विरोधी दलों के नेताओं ने श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में कुछ बाहरी शक्तियों के सहयोग से देश में आन्तरिक गडबड़ी की स्थिति पैदा करनी चाही थी। हम सब जानते हैं कि कुछ बाहरी शक्तियां हमेशा से हमारे देश की नीतियों के विरुद्ध रही हैं और हमेशा हमारे देश पर अपना प्रभुत्व जमाने का षड़यंत्र करती रही है। वे हमारे देश के बढ़ते हुए प्रभाव को फूटी आंख से नही देखना चाहती हैं।

उनकी साजिश में आकर जो लोग देश में उपद्रव करने और अशान्ति पैदा करने के लिये तैयार थे, इस अध्यादेश के द्वारा उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करके सरकार ने देश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया।

देश की जनता यह महसूस करती है कि आज बड़ी शान्ति है। सब काम ठीक ढंग से हो रहे हैं। स्कूल-कालेज शान्तिमय वातावरण में चल रहे हैं। रेल गाड़ियां अपने समय पर चल रही हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले कुछ लोग जगह-जगह कुछ गाड़ियों की जंजीर खींच कर उनको खड़ा कर दिया करते थे, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। आज वे सारी बातें बन्द हो गई हैं। दफ्तरों में भी कार्य ठिकाने से हो रहा है। जो क्लर्क ज्यादातर वक्त चाय पीने में बिताते थे, और ओवर टाइम लेकर काम करते थे, वे समय पर काम करने लगे हैं। जो काम करने वाले कर्मचारी, वे बहुत शान्ति का अनुभव कर रहे है और समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। मुझे सन् 1952 से 1962 तक लखनऊ की विधान सभा में सदस्य की हैसियत से रहने का अनुभव है। परसों नरसों मुझे लखनऊ जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि लखनऊ का प्लेटफार्म सन् 52 से लेकर आज तक इतना साफ सुथरा कभी नहीं था। सब कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए काम कर रहे है। और साथ ही यह भी कहते है कि हमको बड़ी शान्ति है, हम बड़े ढंग से, नियम से अपना काम कर रहे हैं।

तो यह जो व्यवस्था लागू की गई उसका जिस तरह हार्दिक स्वागत हो रहा है उससे उससे महत्व प्रकट होता है। मैं विरोधी पार्टियों के कुछ नेताओं की बात नहीं कहता जिनके नेता पकड़े गये और जिनकी बहादुरी यह थी कि जो जयप्रकाश जी यह कहते थे कि सन् 42 की स्थिति पैदा हो गई है, उनके अनुयायी जो बात बात में चौराहे पर खड़े हो कर उनके नाम की जयजयकार करते थे, लोक नायक जिन्दाबाद बोलते थे, जो चलती हुई गाड़ी की जंजीर खींच कर के खड़ी कर देते थे और अगर पकड़े जाते थे, कोई पूछता था तो जय प्रकाश जिन्दाबाद का नारा लगाते थे, वे सब चौराहे के नेता ऐसी चुप्पी साध गये हैं जैसे सांप छू गया हो। उनको बोलती बन्द है। जो सन्

[श्री कामेश्वर सिंह.]

42 के आन्दोलन की बात करते थे वे जानते नहीं है कि सन् 42 के आन्दोलन में लोगों ने छाती खोल दी थी और सीने पर गोली का मुकाबिला किया था। लेकिन आज उनकी जबान नहीं खुल रही है। इस तरह की स्थिति है। वह गायब है और मुझे बड़ा खतरा है कि उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टीज जिनके ऊपर विश्वास है, जो सरकार का समर्थन कर रही हैं उनमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरकारी पक्ष के लोगों को इस बात को होशियारी से देखना है कि विदेशी घुसपैठिये जैसे देश में आते थे उसी तरह कहीं ये विरोधी पार्टियों वाले इस संगठन में घुसपैठ न कर रहे हों। उनके बारे में चौकन्ना रहना होगा। नहीं तो वे यहां आ कर वही काम करेंगे कि गड़बड़ी पैदा हो।

जय प्रकाश जी के बारे में मुझ को बहुत पुराना अनुभव है। उनके चलते 1948 में कांग्रेस के दो टुकड़े बने। एक कांग्रेस बनी, दूसरी समाजवादी पार्टी अलग बनी। समाजवादी पार्टी में भी वह कुछ दिन चले तो समाजवादी पार्टी अलग और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अलग बन गई। यहां भी जब उनकी नेतागिरी न चली और वह बहुत दिन कांग्रेस से निराश होकर रहे, उन्होंने देखा कि सफलता नहीं मिल रही है तो सर्वोदय आन्दोलन में चले गये। विनोबा जी ने उनका बड़ा विश्वास किया। बड़ा श्रेय दिया जा रहा था सर्वोदय नेता, सर्वोदय नेता कह कर। वास्तव में वे विनोबा जी को भी धोखा देने के लिये गये थे और धोखा दिया। विनोबा जी इस बात को महसूस कर रहे है और मौन धारण करके ही अपनी भावना को आज प्रकट कर रहे हैं। आज सर्वोदय के भी दो टुकड़े हो गये।

बड़ी मेहरबानी उन्होंने की कि सारी विरोधी पार्टियों का नेतृत्व संभाला। जब से उन्होंने सारी विरोधी पार्टियों का नेतृत्व संभाला है उन सभी पार्टियों के दो दो टुकड़े हो गये। इस तरह की स्थिति है। क्रान्ति की बात करते हैं लेकिन क्रान्ति के अनुकूल चलते नहीं है। विद्यार्थी जीवन से लेकर जब से अमेरिका की छात्रवृत्ति से उन्होंने पढ़ना शुरू किया तबसे आज तक जो काम करते रहे मेरा अनुभव है कि आज तक वे केवल चीन के खिलाफ तब बोले हैं जब उसने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया, नहीं तो आज तक चीन के खिलाफ नहीं बोले हैं और अमेरिका के खिलाफ तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं है। कहा है कभी तो रूस के खिलाफ कहा है। इस तरह की जिनकी आदत रही है ऐसे आदमी के नेतृत्व में चल कर वह पार्टियां तो बरबाद हुई ही, देश बरबाद हो जाता। सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी मैं सराहना करूंगा, उसका मैं हृदय से समर्थन करूंगा और चाहूंगा कि इस तरह के जो कदम उठे है उनमें किसी तरह की ढिलाई न होने पाये।

बहुत से लोगों ने शंका की है कि इसका दुरुपयोग न होने पाये। मैं भी चाहूंगा कि जो छोटे छोटे अधिकारी और कर्मचारी है, कहीं सचमुच वे इस स्थिति का लाभ उठा कर पैसा बनाने के चक्कर में न पड़े। मुझको भी कई जगह से शिकायतें मिली हैं कि इस तरह के कदम उठे हैं। सरकार को इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में जो नाना रूप से हमारे शासन में घुसे हुये हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते रहे हैं, जो आज भी उसका नाजायज फायदा उठाना चाहेंगे उनके ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिये। सरकार के हाथ में अधिकार आने के माने यह नहीं है कि प्रशासन के अन्दर रहने वाले अनैतिक तत्व, खराब लोग जो देश को बदनाम कर रहे हैं वे किसी तरह से बच जायें। आज अवसर है कि उनके साथ भी अच्छी तरह से निपटा जाए और देश को इस तरह स्वच्छ और साफ कर दिया जाय कि जिस भावना से

महात्मा गांधी और जवाहर लालजी ने देश की आजादी को प्राप्त किया था और जिस तरह से वह देश को बनाना चाहते थे वह स्वप्न साकार हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: Time is short; and the list of speakers is very long. I am advised to provide for every Member, only 5 minutes.

एक माननीय सदस्य : आप टाइम बढ़ा दीजिये ।

सभापति महोदय : मैं हाउस के हाथ में हूं । आप जैसा डिसाइड करें मैं उसके लिए तैयार हूं ।

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : सभापति महोदय, मैं भारत रक्षा नियम (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू । कारण कि इस मे देश के अन्दर असमाजिक तत्वो के उपद्रवों के विरुद्ध आम जनता की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है । देश म बहुत बडी नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई । हमारी विरोधी पार्टियों ने ऐसा गठबन्धन कर लिया था पजीपतियों से, बडे बडे प्राफिटियर्स से, होर्डर्स से जिससे आम जनता की सुरक्षा खतरे मे पड गई थी जिससे रक्षा होना बडा अनिवार्य हो गया था । इस नाजुक स्थिति मे हमारी प्रधान मत्री ने देश को इस नाजुक परिस्थिति मे बचाया है । इसके लिये भारत की कोटि कोटि जनता उनक आभारी है और धन्यवाद दे रही है ।

यह हिंसा का वातावरण देश के अन्दर इतना गम्भीर हो गया था कि आम जनता अपनी सुरक्षा के लिये भयभीत हो गई थी । समस्तीपुर में 2 जनवरी, 1975 को जो घटना हुई थी । जब यह घटना याद आती है तो हमें ऐसा लगता है कि दानवो की संख्या इस वसुन्धरा पर बहुत बढ़ गई थी । जब हमारे रेल मंत्री आदरणीय ललित नारायण मिश्र समाज को एक बहुत बड़ी देन देने जा रहे थे, नई रेलवे लाइन का उदघाटन करने जा रहे थे, उसी समय उन असामाजिक तत्वों ने बम विस्फोट किया जिसके फलस्वरूप दर्जनों व्यक्ति घायल हुये, तीन व्यक्तियो का निधन हो गया, तीन परिवार बिल्कुल अनाथ हो गये, दो संसद सदस्य—एक मैं और एक श्री यमुना प्रसाद मंडल उसमें घायल हुये, स्टेज पर जैसी दर्दनाक स्थिति थी उसको देख कर लोगों को भय हो गया था कि इतने बड़े व्यक्ति जिनके साथ पुलिस फोर्स है, सरक्षा की सभी व्यवस्था है. उनके ऊपर बम विस्फोट किया गया तो आम व्यक्ति की सुरक्षा कहां हो सकती है ? विधान सभा के सदस्यो के ऊपर, आम लोगों के ऊपर इनका आक्रमण आम बात हो गई थी । इससे लोगों की सुरक्षा बहुत खतरे मे पड़ गई थी ।

जयप्रकाश बाबू अपने को लोक नायक कहते हैं, गाधीवादी कहते है सर्वोदयवादी भी कहते है लेकिन हमे यह प्रतीत हो रहा है कि अब उनका मस्तिष्क बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है । वह क्या सोचते है और क्या करते है, इसका अन्दाजा उन्हे नह है । सर्वोदय का मतलब महात्मा गाधी कहते थे कि देहात मे जाकर आश्रम बनाना, गरीबो की सेवा करना, हरिजनो की सेवा करना, लेकिन जयप्रकाश बाबूने देहात में कितने आश्रम बनाये, कब ये देहात मे गरीबो के साथ रहते थे । इनके प्रोग्राम बड बडे शहरों मे होते है । इनका कार्य विद्यार्थियों को भड़काना, कर्मचारियो को भड़काना, बडे बडे भ्रष्ट पदाधिकारी जिनको हमारी सरकार ने निकाल दिया था उनको अपने साथ ले लेना, उनके साथ गठबन्धन करना, पुलिस और सेना को भड़काना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया था ।

फिर भी अपने को लोकनायक कहते है । आज भारत की 90 प्रतिशत जनता ने हमारी सरकार और प्रधान मंत्री ने जो स्टेप्स लिये हैं उससे आश्वस्त हैं । कारण,

[श्री राम अवध पासवान]

सारे असामाजिक तत्व जो समाजवाद की स्थापना में रोड़े अटका रहे थे वह ब्लैक मार्केटियर्स और प्राफिटीयर्स बाहर आ गये हैं और जनता चैन की सांस ले रही है । मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार की सर्वहारा समाज की रक्षा करने की जो नीति है उसमें बहुत से लोग, पदाधिकारी अड़चन लगा रहे हैं, सरकार के आदेश रहते हुये भी उनका पालन नहीं किया जा रहा है उन अफ़सरों के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिये ताकि सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू किया जा सके और गरीबों को भूमि मिल सके । हमारे गाव मधुबन मे 13 घर हरिजनों के हैं लेकिन भूस्वामियो ने उनकी भूमि पर आक्रमण किया हुआ है जिनके विरुद्ध लैण्ड सीलिंग की कार्यवाही हुई है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सरकार के प्रोग्राम है उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये और यदि उनमें कोई त्रुटि पायी जाये तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिये । मेरा यही निवेदन है कि जो सरकार का 21 सूत्रीय कार्यक्रम है उसको अच्छी तरह से लागू होना चाहिये और उसमें अड़चन डालने वाले असामाजिक तत्वों तथा अफ़सरो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिये ताकि हमारे गरीब सर्वहारा समाज को लाभ पहुंच सके । धन्यवाद ।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): Sir, I welcome this Defence of India (Amendment) Bill, 1975, to further amend the Defence of India Act, 1971, which is essential considering the present threat to the internal security of the country. But the drafting of such important laws should not be done in haste, because then flaws and loopholes are left due to hasty drafting. The law once made should be fool-proof.

The offenders should be severely dealt with under this Act. The Defence of India Act was incomplete without the present amendments. By these amendments to this Act more powers are being given to the administrative officers in the whole country. So, it should be seen that the powers are not misused and those officers who misuse the powers should be punished. Since this is the only fear in the public mind today, the officers should be more disciplined in enforcing this Act and the rules made under the Act.

13.42 hrs.

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

For the sake of the defence and internal security of the country, it is the duty of each and every citizen of India to fully cooperate in the proper implementation of the Defence of India Act.

During the present emergency each and every industry in the country should produce up to the rated capacity of the plant in the national interest. Such industries which do not increase production to their licensed or rated capacity should be punished under the DIR. This will help us in the early implementation of the 20-point economic programme announced by our Prime Minister on 1st July this year.

Similarly, the wholesale and retail dealers of every essential commodity should be warned against hoarding and black-marketing and smuggling of goods. Anybody found violating the rules should be severely dealt with and out behind the bars. Strikes should be banned and the Government machinery should be geared up. The public should also be disciplined.

The powers given under this Act are tremendous and the whole country could be controlled with proper implementation of this Act, because almost every sort of offence is covered under this Act. There could be no threat to the defence as well as the internal security of the country if it is applied without bias and would be ineffective if misused.

The most dangerous people in our society are the hoarders, black-marketeers, smugglers and the goonda elements. No sympathy should be shown to them under any consideration or pressure. Then, I have no doubt that the 20-point economic programme announced by our Prime Minister would be achieved very shortly.

Persons detained under the DIR should not be released. Their properties should be confiscated and heavy penalties should be imposed on them. In suitable cases, even life imprisonment should be given to them. Then only we can eradicate this evil from our soil.

Here I would like to mention something about Tamil Nadu. I visited that State day before yesterday and I have seen the LIC building. I agree with my friends that it is a clear case of sabotage. I have never seen a building being burnt like that. Yet, nobody has been caught so far, though I am told that some sort of enquiry is going on under the DIR

In Tamil Nadu it looks as if we are in a different State. I hired a taxi to go to the Airport. Even though the metre showed some amount, the driver demanded another Rs. 5 extra because he said that is the rule. I would say that the Government should keep a very vigilant eye on Tamilnadu and watch the developments there because anything may happen there. Necessary action should be taken under the Defence of India Act.

We make laws here. But, due to improper implementation by the executive officers and leniency shown towards the persons who violate the law, the enactments become ineffective. Therefore, if we want fruitful results from this Act, it should be vigorously enforced

With these words, I support this Bill.

श्री नाथू राम अहिरवार : (टीकमगढ़) : सभापति जी, यहां पर जो डिफेंस आफ इंडिया अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, वास्तव में अगर इसमें यह संशोधन नहीं होता तो यह कानून अधूरा रहता क्योंकि इसमें यह प्रावधान था पहले बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की जाये लेकिन देश में कुछ भी होता रहे सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाती थी । पिछले तीन चार वर्षों में देश मे जो स्थिति हो गई थी उससे तो ऐसा महसूस होता था कि देश मे कोई शासन ही नहीं रहा, कोई शान्ति व्यवस्था बनाने वाला ही नहीं रहा । जिधर भी देखते विद्यार्थियों की अलग हड़ताल हो रही है, मरीज अस्पताल में पड़े हैं और डाक्टर हड़ताल पर जा रहे है । मरीज आपरेशन थियेटर पर पड़े हुये है और विद्युत्विभाग के इंजीनियरो ने हड़ताल कर दी तो बिजली बन्द हो गई । देश के एक क्षेत्र में लोग भूखो मर रहे है लेकिन रेल गाड़ियां बन्द हो गई, गल्ला वहां पहुंच नहीं पा रहा है । पानी के जहाज से माल उतारना हैं लेकिन उसको उतारने वाले जो कुली है उन लोगों ने हड़ताल कर दी । कहने का मतलब यह हैं कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिससे देश का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था । जब बिहार का आंदोलन चल रहा था तो पटना मे एक अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमने एक बड़े आदमी को, जिसके पास गल्ले का बड़ा स्टाक था, पकड़ा तो छात्र संघर्ष समिति ने—जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे—पुलिस वालो पर हमला कर दिया कि इसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह उनको चन्दा देता था । एक तरफ तो वे कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक-मार्केटियर्स और होर्डर्स की रक्षा करते थे । यह दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं ! यही नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को उकसा कर लाखों रुपये

[श्री नाथूराम अहिरवार]

की सम्पत्ति नष्ट करवा दी गई। इसी प्रकार जब जय प्रकाश नारायण बलिया आये तो गोरखपुर के जिला परिषद् के कार्यालय में कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने आग लगा दी, पूरा दफ्तर जला कर नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार रेलवे हड़ताल के समय मुगलसराय में जो कर्मचारी काम पर आ रहे थे उनको गुण्डों से पिटवाया गया, छुरो से घायल करवाया गया। इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी गई थी। रेल हड़ताल कराने वाले एक ऐसे नेता है जिन्होंने विदेशों से सहायता लेकर यहा लोगों को रिश्वत देकर यह सारा काम करवाया। ऐसी स्थिति मे जो ब्लैक-मार्केटियर्स थे, चीजो को इकट्ठा करके ब्लैक करना चाहते थे, गरीब जनता का शोषण करना चाहते थे, जनता को परेशानी की स्थिति में डालना चाहते थे, जिससे कि जनता सरकार के विरुद्ध हो जाय और सरकार जनता के लिये कुछ न कर सके। जहा गल्ला वसूल किया जाता था, लेवी वसूल की जाती थी, वहा जाकर ये विरोधी दल वाले मीटिंग करते थे और किसानो को कहते थे कि सरकार बहुत सस्ते दामो पर गल्ला वसूल कर रही है। दूसरी तरफ़ शहर मे जाकर जहा मजदूर रहते थे, मीटिंग करके कहते थे कि सरकार तुमको सस्ते दामो पर गल्ला नही दे पा रही है सरकार को तुम्हें गल्ला सस्ते दामो पर मुहिया करना चाहिये। यह दो तरह की नीति कैसे चल सकती थी? जब उन्होने ऐसी स्थिति पैदा की तो सरकार के सामने एमरजेन्सी लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा न रहा और सरकार ने बाध्य होकर एमरजेन्सी लागू की। अब एमरजेन्सी लागू होने के बाद जनता राहत की सांस ले रही है और लोग महसूस करने लगे है कि कोई प्रबन्ध है, कोई हमारी बात भी सुनने वाला हैं। जो चीज लोगों को दुगुने दामों पर भी नही मिल रही थी, अब आधे दामों पर मिलने लगी हैं?

आज जहां हमारे देश में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने पर तुले हुए थे, वहां एक और तबका भी हमारे साथ है—जो हमारी सरकारी मशीनरी है। आज जो हमारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वे अपने काम ठीक तरह से नही कर रहे हैं। हमने आज तक जितने कार्यक्रम बनाये, जितने प्रगतिशील कदम उठाये, उनका इम्प्ली-मेंटेशन इस मशीनरी ने ठीक से नही किया। हम उन कार्यक्रमों में क्यो सफल नही हुए, इसलिये कि हमारी यह मशीनरी ढीली रही, अपने कर्तव्यो के प्रति सजग नही रही। इस लिये मेरा निवेदन है कि हम जो भी विधेयक पास करें उनमे ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये जिसमें इन अधिकारियो पर भी नियन्त्रण रखा जा सके। जहा हम उन ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स को पकडने जा रहे है जो राष्ट्र विरोधी कार्य करते है, वहा हमें उन अधिकारियो पर भी निगाह रखनी चाहिये और देखना चाहिये कि इन्होने किस तरह से सम्पत्ति को इकट्ठा किया है, उन्होने बडी बडी बिल्डिंग्ज खडी कर ली है। बडे आराम और शान का जीवन बिताते है, चाहे उनमें बडे बडे आफिसर्स हो या इजीनियर्स हो। इनके ऊपर हमे निगाह रखनी चाहिये और इनके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिये। जब तक हम दोनो तरफ कार्यवाही नही करेंगे तब तक हमारा एक्शन अधूरा रहेगा। मैं यही चाहता हू कि हमारे कानूनो का दुरुपयोग न हो।

एक बात मुझे और कहनी है—हमने देखा है कि हमारे कर्मचारी छोटे छोटे दुकान-दारो को ज्यादा परेशान करते है। कुछ ऐसी शिकायतें मिली है जैसे किसी दुकानदार का स्टाक चैक किया जाता है, मान लीजिये एक साबुन की बट्टी कही अलमारी के पीछे गिर गई और वह स्टाक चैक करने मे कम निकली तो उसका चालान कर दिया जाता है,

लेकिन जिसके यहां चर्बी का भारी स्टाक पड़ा है, उनके यहां आपके इंसपैक्टर साहब चाय पीकर चले जाते हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को इंस्ट्रक्शन्ज दी जानी चाहियें कि छोटे छोटे दुकानदारों को जो 100 या 200 रुपये की पूंजी लगा कर काम करते है उनको परेशान न किया जाय । खान के तेल मिलों से ड्रम में आते है, छोटा दुकानदार 5 या 10 किलो तेल लेकर बेचने के लिये बैठ जाता है, सैम्पल ऐसे ही छोटे दुकानदारों के भरे जाते है । लेकिन कारखानों का चालान नहीं होता जहां से मिलावट होकर आती है, जो 5 या 10 किलो तेल लाता है, वह क्या मिलावट करेगा—इस बात पर गौर नहीं किया जाता । वास्तव में कर्मचारी शासन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, बड़े व्यापारियों को पकड़ने के बजाय छोटे-छोटे दुकानदारों को पकड़ते है जिससे सरकार ज्यादा बदनाम हो ।

हमारे यहां मशीनरी में कुछ ऐसे लोग भी है जो ऐसे लोगों को पकड़ते है जिनके लिये सरकार कहे कि इनको छोड़ दो । उनको छुड़ाने की आड़ में वे दूसरों को छोड़ने के लिये भी कहते है । ऐसा वे जान बूझ कर करते है जिससे सरकार ज्यादा बदनाम हो । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये और जो हमारे कार्यक्रम को पूरा न करने के दोषी पाये जाय, उनको दण्ड दिया जाना चाहिये ।

DR. RANEN SEN (Barasat): Mr. Chairman, Sir, in this Bill, it is stated that in Section (1) of the Principal Act, for the words "Defence of India", the words "Defence of internal security of India" shall be substituted. I quite support this particular amendment.

There has been no doubt at least amongst many of us that the internal security of India was being attempted to be subverted by certain people and certain parties taking advantage of the democratic rights and liberties that we are enjoying today in the country. In spite of various limitations in our privileges and rights, there is no denying the fact that we were enjoying many democratic rights and liberties. So, some people who rose in the name of advancing or preserving democratic rights of the Indian people were, in fact, subverting democratic rights that we were enjoying in our country.

Not only that. This attempt to subvert democracy from inside by these people or the parties had the backing of imperialist forces, their agents outside and inside India. It is not an accident that when American imperialists set up their military naval base at Diego Garcia, just at that point of time, this gentleman, J.P., who was hybernating in his home got up and started a fight for the so-called democracy. It is not also an accident that a Member of this House who used to boast that he was a CIA agent actually considered it to be a great privilege and honour to be an agent of CIA. It is these people who were talking about the fight for the so-called democratic rights of the people Therefore, this little change has a very wider meaning and I support it. As I have said, the internal security of India was being attempted to be subverted by a number of people, by a number of parties, in the name of advancing democracy and all that. I support this particular aspect of the Bill. But while supporting it I want to give certain examples as to how D.I.R. has been misused by a section of officials or bureaucrats, whatever you may call them.

I remember, two years back when the Defence of India Act was in operation in Calcutta, this is what happened. There is a company called the Indian Oxygen Company Ltd. It is owned by a multi-national company This is a subsidiary of the British Oxygen Company Ltd. in which even today in India, more than 60 per cent of the capital belongs to the British

[Dr. Ranen Sen]

Oxygen Company. It has branches in Bangladesh also. They are operating in many countries of Asia and Africa. It is really a multi-national Corporation which is exploiting our country. Now, there was a labour dispute in that company, in that particular unit in Calcutta. You will be surprised to hear that the Government official without going into the merits of the case simply said that because this was a gas company and the gas was necessary for the Defence of India which I admit, the Defence of India Act was imposed on the workers, on the recognised trade unions. Some such cases are taking place even today in other areas.

14.00 hrs.

On the 25th of this month, only three or four days back, I had been to Khetri Copper Mines to hold a meeting there; there is a recognised Union there, and the purpose of that meeting was to support the Government of India in the proclamation of the Emergency and in the economic measures suggested by the Prime Minister; this was the objective of that meeting for which I had been called. I went there and I was amazed to hear that, when the Trade Union officials went to the SDM for permission—because permission was necessary under section 144—he said that the speakers in that meeting should be told not to attack the management because there were the Defence of India Act and the MISA operating in India. What a wonderful thing! The SDM did not say that they wanted us to give a good propaganda to the economic reforms suggested by the Prime Minister, but he was worrying himself whether those people, including myself who was to speak in that meeting, would attack the management for some of their faults. If such woodenheadedness or bureaucratic behaviour is tolerated or allowed, then the Defence of India Act or the Defence of Internal Security of India Act will be looked upon by the common people and the workers of this country as a sort of an Act in defence of the employers.

I can give another example also. There was an industrial dispute, not in West Bengal but in Bihar. When there is an industrial dispute, what happens is that the Government intervenes, and in spite of that, if there is a lock-out or a strike, the Government tries to bring about some sort of a rapprochement. But, in Bihar, I will tell you, Mr. Chairman, what happened in one case. You come from Bihar, Mr. Chairman. Immediately, the Defence of India Act was applied on the workers and they were told that they could not go on strike because the Defence of India Act had been imposed

While these things are going on, I want to know from the hon Minister, how many big traders or big hoarders have been arrested, how many big business people have been arrested, under the Defence of India Act so far. I have a little experience about Calcutta. I know, there is black market in rice in the city of Calcutta. The ordinary smugglers they are also smugglers because they bring one kilo or two kilos or five kilos of rice—are arrested, but the police never go into the root and try to find out who are the people in the villages or in the market places who are supplying this one kilo or two kilos or five kilos of rice to those small people paying them Re. 1 or Rs. 3 per day. As far as I know, in India such big black marketeers operate behind the screen and send ordinary peasants, boys and girls, for selling small quantities of rice. How many of those big business people have been arrested? How many of those people, who are operating in the Delhi Market or the Hapur Grain Market and who handle grains worth several lakhs of rupees, have been arrested?

The D.I.R., together with the Amendment that is before the House, should be applied, not on the common people—because the common people are supporting this proclamation of Emergency; there is no doubt about it; we have been holding meetings; the wor-

kers want to understand, and they are supporting the proclamation of Emergency—, but on those people who are surreptitiously acting against the economy of our country and are trying to subvert it; they are not being taken to task. Therefore, I would like to bring to the notice of the non. Minister, Mr. Mohsin, that a change has to be made, not by making certain amendments to the Defence of India Act—simple amendments will not do—, but in the actual implementation so that these people are brought to book, those who are ruining the economy of the country and are subverting the internal security of India.

SHRI ISMAIL HOSSAIN KHAN (Barpeta): Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Minister for bringing this Defence of India (Amendment) Bill. Before the emenrgency, there was anarchy, chaos and disorder everywhere in every State and parctically there was no administration in a sense that nobody cared for anybody. The corrupt officials always put the blame on the Government, though they were at the root of it. They did not say anything about themselves, but they put the blame on the Government.

Our Indian people are very simple and they are peace-loving. If there was any chaos, strike or dharna, they become very much afraid of it; they want to live in peace and earn their livelihood very honestly. But when the reactionary forces create any problems for them, they become very nervous and they become annoyed. These reactionary forces do not want the Government to implement their programmes; they always want to create chaos and difficulties for the people and the Government. The reactionary forces after the announcement of this emergency have subsided and that is why, everything is quiet and smooth. Whenever I used to come to Delhi, several times I could not reach Delhi in time, but after proclamation of this emergency, the trains are punctual and all the officials are very punctual in their duties.

This Amendment Bill is very essential for our Eastern part of the country, that is Assam, because Assam is situated in the eastern corner of India and there are three foreign countries on three sides of Assam. There are some Nagas and Mizo people who are always creating troubles and disturbing internal security of Assam, it is very essential to apply this MISA and Defence of India Rules in suppressing those bad elements of underground Nagas. Our Assam is a very backward area in respect of communication. At the time of last emergency, there was a plan to develop the road communication of some border roads, but this has not been implemented till now and the only line is linked with broadgauge line and that has not been extended upto our capital of Assam. If this emergency is kept for some period, our people will learn how to work for the development of our country and our nation will be able to remove the poverty of the people. Everybody will be active and helpful in implementing the social programmes of our Government.

श्री डी० एन० तिवारी : (गोपालगंज) सभापति जी, सबसे पहले मुझे एक शिकायत है। कल जैसे ही विधेयक पेश हुआ मैंने अपनी स्लिप भेजी। मालूम होता है कि आपके यहां कुछ गड़बड़ होती है क्योंकि मेरा नाम सबसे पीछे आया।

सभापति महोदय : आपके बाद भी बहुत से लोग हैं अभी बोलने को। इसलिये आप का नाम सबसे पीछे नहीं है। यह शिकायत आप अपनी पार्टी के चीफ़ व्हिप से कीजिये।

श्री डी० एन० तिवारी : चीफ़ व्हिप ने लिस्ट नहीं दी।

सभापति महोदय : लिस्ट दी है।

श्री डी० एन० तिवारी : सभापति जी, देश में जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार कानून बनाया जाता है । बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो मन को बुरे लगते ह और जनता के अधिकारों को कर्टेल किया जाता है । लेकिन जब देश की परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो देश की सुरक्षा के लिये अधिकारों को कर्टेल करना ही पड़ता है । ऐसी स्थिति आपात की स्थिति होती है । कुछ लोगों ने कह दिया कि यह विधेयक बहुत ही आइडियल विधेयक है । कोई भी विधेयक जो हमारी स्वतन्त्रता को कम करता है कभी आइडियल विधेयक हो ही नहीं सकता ।

इसलिए हम इसको मानते हैं कि यह आपातकालीन स्थिति है और इसकी जरूरत थी क्योंकि देश में शासन जरा ढीला हो गया था और देश में उच्छृंखलता आ गई थी और हमारे शासक लोग उसको काबू में नहीं कर सकते थे । इसलिए इस विधेयक को लाना पड़ा । आपातकालीन स्थिति जब खत्म हो जाए, उसके बाद इसको एक मिनट अधिक नहीं रखना चाहिए क्योंकि मूलाधिकार जो हमारा है, उस में जितनी ही आप कटौती करेंगे, उतना ही जनता के हृदय मे आपके प्रति कोई स्नेह नहीं रहेगा । इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि बाहरी आपत्ति की स्थिति दूसरी है, जब कहीं से आक्रमण हो जाए, कहा नहीं जा सकता लेकिन आन्तरिक स्थिति काफ़ी समय तक ऐसी नहीं रह सकती और यदि बराबर ऐसी रहे और बराबर हम लोगों को मीसा और डी० आई० आर० से रूल करना पड़े, तो मैं समझता हूं कि वह गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि शासन में रहे । इसलिए जितने कम समय में और जितनी जल्दी हो, देश की स्थिति सुधारी जाए और इसको वापस ले लिया जाए क्योंकि आपके पास साधारण स्थिति पर काबू पाने के लिए बहुत से कानून हैं । उन कानूनों से आप देश की स्थिति को काबू में रख सकते हैं ।

दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि डी० आई० आर० और मीसा का दुरुपयोग हो रहा है । लोगों के हाथों में, अधिकारियों के हाथों में एक शक्ल आ गई है, जिसका दुरुपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है और हो रहा है । मैं कल ही अपने जिले से आया हूं और वहां पर मैंने दो केसेज देखे हैं । एक केस तो यह था कि एक व्यक्ति के खिलाफ़ रेलवे का वारण्ट था पैसा वसूल करने के लिए और सिपाही उसको पकड़ने के लिए गया और उसको पकड़ भी लिया लेकिन जब वह चाय पीने लगा, तो वह अभियुक्त भाग गया । अब उसको कुछ को तो पकड़ना था ही । इस वास्ते 5, 7 नौजवानों को उन्होंने डी० आई० आर० मे फंसा लिया । उनका कोई कसूर नहीं था । जब प्रोटेस्ट किया गया और वहां के जो विधायक है और मिनिस्टर भी हैं को लिखा, तब उसकी इंक्वयरी हुई और अब वह केस विड्रा हो रहा है । उस बेचारे को जेल मे रहना पड़ा क्योंकि किसी आफिसर की उससे अदावत थी ।

एक दूसरे केस छपरा का मैने देखा । एक विद्यार्थी का पुलिस से झगड़ा हो गया और उसके दो भाइयों को मीजा और डी० आई० आर० में पकड लिया गया । इस तरह से मीजा का दुरुपयोग होता है । अगर गलती से कही इसका दुरुपयोग हो जाए, तो वह क्षम्य हो सकता है लेकिन खुले आम जान बूझ कर ऐसा करने से लोगों के मन में जो अच्छी भावना उसके प्रति है, वह भावना खराब हो जाएगी ।

आज हम यह भी देखते हैं कि अगर किसी के यहां धन इतना इकट्ठा हो जाए जो उसके मीन्स से अधिक हो और जो उसका कारोबार है उससे ज्यादा है तो उसको पकड़ लिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट अफ़सरों को आप देखिये उनके पास कितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं । ये कैसे बन गई ? अभी सी० पी० आई० के सदस्य श्री इसहाक सम्भली ने बोलते हुए कहा था कि ओकारे में एक अहलमद

साहब वे जिन्होंने करोड़ों रुपयों की गड़बड़ी की थी । उनको रिटायर कर दिया गया । अब क्या मीसा और डी० आई० आर० केवल व्यापारी लोगों के लिए ही है ? यह क्या उन्हीं पर लागू होता है जो व्यापार करते हैं । जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, जो पालिटिशियन्स हैं । दूसरे सारे आफिसर्स हैं, उन पर क्या यह लागू नहीं हो सकता है । आपने बहुत बड़ी सजा दे दी अहूजा साहब को जो उनको रिटायर कर दिया ? हम करोड़ो रुपयों की सम्पत्ति हड़प लें और उसके बाद पालियामेंट छोड दें, तो यह बहुत बडी सजा हो गई । आप यह देखिये कि आपके यहां कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी लोग है जिन्होने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया है । उतना धन कैसे इकट्ठा हो गया । जब व्यापारियो का या स्मगलर्स का सरकारी तन्त्र मे मेल जोल होता है, तब यह चीज धड़ल्ले से चलती है । यदि उनका मेल न रहे, तो स्मगलर्स को या ब्लैक मार्केटियर्स को इसको जमा करने में बडी कठिनाई होगी । वे करेंगे लेकिन पकड लिये जाएंगे । जब तक आपके तन्त्र के कुछ लोग उसमें शान्ति शामिल नही होते हैं उन की कुछ नही चलती है और वे आसानी से स्मगलिंग या ब्लैक-मर्केटिंग नही कर सकते । न. मेरा कहना यह है कि आप अपने तन्त्र को ठीक कीजिए ।

अब मैं देख रहा हूं कि जो खराब सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप रिटायर कर रहे हैं या उनके ऊपर डिपार्टमेन्टल इंक्वायरी होती है और वे पकड़े जाते हैं, उनको आप निकाल रहे हैं । अगर आप दस, बीस केस ऐसों पर कर दें तो इससे लोगो में दहशत पैदा होगी और फिर लोग ऐसे बुरे काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे । इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि डी० आई० आर० का उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिए । जनता के साथ साथ, व्यापारियों के साथ साथ जो सरकारी अफ़सर खराब काम करें, जो इस बुराई में शामिल हों और जो इसको बढ़ावा देते हों उनके खिलाफ भी आपको इस मीसा और डी० आई० आर० के अन्दर एक्शन लेना चाहिए । मैं जानता हूं कि बहुत सी चोरियां या डकैतियां जो होती हैं, उनमें से कुछ थाने के अफ़सरों के बढ़ावा देने पर होती हैं और उनमें उनका शेयर बंधा हुआ रहता है । इसी तरह से आप देखिये कि कोई भी एकोनामिक आफेन्स हो, उसमें किसी न किसी स्तर के आफिसर का हाथ होना ही है । वे चाहे कनाइवेंस हो, या वह अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करता हो या कुछ और करता है कुछ-न-कुछ उनका योग होता है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इसको यदि आप ठीक नही कर सके, तो जो अब आप को शाबासी जो मिल रही है, वह नहीं मिलेगी बल्कि बदनामी होगी और आपातकालीन स्थिति में जो आप इतना सख्त कानून लाये हैं और जिसका सब ने स्वागत किया है, लोग उसकी भर्त्सना करेंगे ।

SHRI ARVINDA BALA PAJANOR (Pondicherry): Mr. Chairman, I rise to speak on the Defence of India Bill and support this. When the emergency is there I do not think there can be any second thought to oppose this kind of bill that is introduced. But one thing I would like to bring to your notice in the beginning itself that now the time has come for us to go very deep into this bill and discuss this legislation which can serve the Nation. If you ask me to speak on this Bill, I say it is only a technical bill and nothing is required to speak on that. But we can speak on the spirit of the Bill to which I shall come later.

So far as the amendments are concerned, it is mentioned that these are for internal security in some places for a period of six months, etc. So, nothing can be said against this Bill on that score.

One thing must come to the notice of this House that not only the ruling party members are supporting this kind of bills but people from the Com-

[Shri Aravinda Bala Pajanor]

munist Party of India, Anna DMK and All India Muslim League, all these parties are taking part in these proceedings and they also contribute to the idea of how to save this country from disintegration.

On 26th of June we had a feeling that at least proclamation has come, though a bit late but not very late. At that time we were having a feeling that these people were sowing the seeds of dis-integration and they were working very cleverly in a disguised manner. When emergency was proclaimed, we expected and even on this date I expect a report to this House how the things are taking place in various places of our Nation. So far as I am concerned I come from the extreme south of the country—i.e. Pondicherry surrounded by Tamil Nadu. I can speak of these areas and how things are taking shape in our place and how it was in the past one month.

I listened to Shri Indrajit Gupta. He spoke about the past activities of certain people and party and how they behaved, how they are acting now and how they will act in future. So far as that is concerned some members are not in line with the Central Government. They may be of the opposition or some may be within the ruling party itself. But in Tamil Nadu the present Chief Minister, Shri Karunanidhi may pay lip service to the national integration and may say that he is ardently executing the orders of the Central Government and is for the Defence of India Rules, proclamation of emergency and so on and so forth. But, I hope, Sir, this House may be aware of his past activities and how he is acting at present also.

In the past, if you take his own words, when the Prime Minister came to inaugurate the Pampan Bridge, he said this at Madurai. According to him, it is a historic speech, so far as that area is concerned. I want to bring this to the notice of the House, to see the venom in it. He said that before 1947 there was only one India —After 1947, India became two, Immediately after the Bangladesh war, when Bangladesh was declared an Independent State, he said, after 1971, India has become three, that is, Bharat has become three. Here I stop. I do not want to say anything for the future. It is for you to guess." He had that much of audacity to express these words when our beloved Prime Minister is in our State. This matter has also been brought to the notice of the Central Government. Then, immediately after some months, he had convened a conference at Rajapalayam. In that conference, he was declared as the Mujibur Rahman of India of the South and there was a portrait of his on one side and Mujibur Rahman's photo on the other side. People started talking about it; it was shown as if he is the Hero of the South, Mujibur Rahman of the South and so many other things, and he was encouraging it. Now, Sir, that is all right before the emergency; he had the peculiar freedom to talk anything to disintegrate this country and sow the seeds of separation in this country! But after emergency what has happened? After the 26th June, 1975, at the beach meeting on 6th July, he started saying something against the emergency and there, Sir, he invited the BBC. That is according to my information or our information. It is for you to probe into it, to take proper action against it. He invited the BBC and its television department there and they took photographs and they took their news and this was conveniently sent to foreign embassies, to other countries and we understand, Sir, that these were displayed in Europe, America and other countries. I do not know how the Central Government is tolerating these kinds of activities in Emergency and with D.I.R.

As I said in the beginning this bill is only giving technical legality or the legality to the already existing Bill of 1971. In that Bill we speak only about

the external aggression and external threat. Here we speak about the internal security. It is O.K. But, so far as internal security is concerned, how is this being threatened day in and day out?. You see, Sir, this Chief Minister of Tamil Nadu comes forward to address public meetings; he is having this convenient forum by calling for opening of slum clearance or some Government function and in all these public meetings, he has the audacity to say: 'I will throw my Chair but when I throw my chair, the chair of the Governor has to go.' He means, the Central Government will have to go. So, Sir, when we pass this kind of a Bill, I am happy, you are taking some steps to curb the unsocial elements but the spirit must be kept. My learned friend from the CPI spoke about the spirit of the Act; he said, the spirit of the Act must be kept and you must take action against bourgeois elements big money-bags and the industrialists But here, Sir, you are not taking action against those elements which are trying very conveniently and cleverly to dislodge the Central Government. Actually, Sir, when the MISA was introduced, when the DIR was introduced, we were thinking that they will be utilised for good purposes. But the Chief Minister of Tamil Nadu in a clever way, is mocking at it; he is making use of these legislations against petty offenders, prohibition offenders, and on small fries so that the people get an idea that these acts are only to harass the common man—the small men on the street

My friend says that if these acts are misused, the people will get a wrong notion about it that it is not a good act. The other day, when our Home Minister spoke in the other House he said that we cannot bring things by force; we cannot bring things by acts. It must be read to the people by our action. But, Sir, when these things are allowed to take place like this, if the bureaucrats misuse them and if the Governments misuse them in small matters, actually when they mock at this legislation, naturally, the people come to the conclusion that it is an eye wash. That is why this psychological war is going round the country. And, the whispering campaign, as explained by our Prime Minister, will only strengthen the belief that the people will one day condemn us. There is censorship and control on the media. But, I am wondering why they censor even the good news. They censor the very matters that must go to the people. The censorship is only to prevent certain things that are going to disintegrate the country. All those things which are going to integrate the country must go to the people. Then only the people will understand what is really taking place in the country. We shall have their cooperation and the psychological war that is going round the the country can be stopped. We can come up very well.

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझनू): मैं इस बिल के सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। जैसा कहा गया है यह बिल टैक्नीकल नेचर का है और टैक्नीकल अमेंडमेंट्स ही इसमें की जा रही हैं। लेकिन मैं एक दो बातें कह कर इसके पीछे जो भावना है उस पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। पहले मैं ड्राफ्टिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इस एमेंडिंग बिल के जरिये जितनी अमेंडमेंट्स हैं वे केवल एमरजेंसी जारी रहने तक और एमरजेंसी खत्म होने के छः महीने बाद तक ही जारी रह सकेंगी इसका मतलब यह हुआ जितनी भी एमेंडमेंटस हम इस संशोधक विधेयक द्वारा कर रहे हैं वे सब चली जाएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया के शब्द आफ टम्पोरेरीली क्यों जोड़ना चाहते हैं और क्यों वह चाहते हैं कि यह चीज एमरजेंसी समाप्त होने के छः महीने बाद समाप्त हो जाय और क्यों आप इसको परमानेंटली स्टैचूट पर नहीं रखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं इस पर आप गौर करें।

[श्री शिवनाथ सिंह]

प्रीएम्बल में आपने एंड शब्द जोड़ा है। क्या ये अच्छा ड्राफ्टिंग है इसको भी आप देख लें।

अब मैं इस बिल की भावना के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं बाहरी खतरे से अधिक महत्वपूर्ण आन्तरिक सुरक्षा को मानता हूं। बाहरी खतरा जब होता है तो देश एक हो जाता है और बदमाश ताकतें जो बदमाशी करना चाहती हैं वे जनता के सामने खुल कर आ जाती हैं, वह भेद जनता के सामने खुल जाता है और उनको बदमाशी करने का अवसर नहीं मिलता है। चीनी हमले या पाकिस्तानी हमले के वक्त यह चीज हम देख चुके हैं। तब देश एकजुट होकर खडा हो गया था और उन ताकतों का उसने सामना किया था। लेकिन जब आन्तरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो बहुत सी बदमाश ताकतें देश को इंटेग्रेट न होने देने के लिए, उसको डिसइंटेग्रेट करने के लिए सामने आ जाती हैं और देश के मनोबल को नीचे गिराती हैं, प्रगति को रोकने की कोशिश करती हैं और देश के अन्दर जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है उसको खत्म करने की कोशिश करती है। इस प्रकार के तन्त्र जब काम करने लग जाते हैं तो उस वक्त जो खतरा पैदा होता है वह किसी भी देश के लिये सबसे बड़ा खतरा होता है और वह कलह की नौबत आ जाती है। इस चीज की रोकथाम होना बहुत आवश्यक है। हमने देख लिया है कि एमरजेंसी के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यदि हमने एमरजेंसी डिक्लेयर न की होती, यदि समय पर केन्द्रीय सरकार ने, प्रधान मन्त्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने कदम न उठाया होता तो देश की आन्तरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आन्तरिक सुरक्षा शब्द जो आपने टैम्पोरेरी अर्से के लिए रखा है इसको आपको परमानेंट तौर पर रखना चाहिये और इसी भावना से इस बिल को लाना चाहिये।

जैसा मैंने कहा बाहरी खतरे से इटरनल इनसिक्योरिटी अधिक खतरनाक होती है। इंटरनल इनसिक्योरिटी हमारे यहां क्यों पैदा हुई। कुछ तंत्र ऐसे थे जो वर्तमान शासन को नही चाहते थे। इस शासन को वे वोट के द्वारा जग बदल नही पाए तो उन्होंने दूसरे तरीकों का सहारा लिया। एक दूसरा ही रास्ता उन्होंने अपनाया। इसके अलावा हमारे यहा ग्रोथ रेट गिर गया था, वर्तमान व्यवस्था में खामियां आ चुकी थी और हमारा प्रशासन उसको सुधार नही पाया। इन कारणों से भी आन्तरिक सुरक्षा हमारी खतरे में पड़ी। इन सब कारणों का हमें निवारण करना होगा। इस हेतु डिफेंस आफ इंडिया एक्ट और मीसा आदि का प्रयोग होना चाहिये और विघटनकारी जो ताकतें हैं उनको कुचलने के लिए होनी चाहियें। हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि सब के सब बुरे है। लेकिन बहुत बड़ा अंश आज भी ऐसा है जो जन संघ से, आर०एस०एस० से, आनन्द मार्ग से अपना एक प्रकार का लिंक जोड़े हुए हैं। एमर्जेन्सी के लागू होने से पहले, इन संस्थाओं के बैन

होने से पहले, बहुत से सरकारी अफसर खुले रूप में अपने आप को इन संस्थाओं के चेले कहा करते थे। क्या हमने उनका हृदय-परिवर्तन कर दिया है ? आज उन पर निगाह रखने की आवश्यकता है। आज देश के हर एक प्रशासक और सरकारी अफसर को यह एहसास होना चाहिए कि डी० आई० आर० और मीसा जिस को वे आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल करते है, उनके खिलाफ भी काम में लाया जा सकता है। हरियाणा और पंजाब आदि कुछ प्रान्तों में इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं। लेकिन समूचे देश में---यह बहुत बड़ा देश है --अधिकांश अफसर इस प्रकार के है। इसलिए यह आवश्यक है कि गृहमंत्री उन लोगों को भी पाठ पढ़ाये कि ये कानून उन पर भी लागू होते है। तभी वे इकानोमिक प्रोग्राम और सरकार की अन्य नीतियों का सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर सकेंगे।

आज ऐसी भी ताकतें है, चाहे वे जनसंघ के नाम से हों और चाहे आर० एस० एस० के नाम से, जो भय के कारण सरकार की नीतियों का समर्थन करने लग गई हैं। हमें उनसे भी सावधान रहना चाहिए। उन्होंने दिखावटी तौर पर इमर्जेन्सी और 21-पायंट प्रोग्राम का समर्थन किया है। लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि इमर्जेन्सी के डर से उन्होंने ऐसा किया है। उन लोगों की इस घोषणा के कारण सरकार उनको छूट दे रही है, जिस को उचित नहीं कहा जा सकता है। इन कानूनों को उन लोगों पर सख्ती से लागू करना चाहिए वर्ना इमर्जेन्सी डिक्लेयर करने और इस प्रकार के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होगा।

इस देश में वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी करने वाले जो लोग है, उनके बारे में डी० आई० आर० और मीसा का थोड़ा बहुत उपयोग किया गया है। लेकिन वितरण व्यवस्था तभी ठीक हो सकती है, जब देश का उत्पादन बढ़े। कितने ही इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपने कारखानों में इनस्टाल्ड कैपेसिटी को पूरा नहीं किया है और वे 75 परसेंट तक भी नहीं पहुंचे है। सरकार ने उनमें से कितनों को डी० आई० आर० और मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है ? जब तक सरकार यह पग नहीं उठायेगा, तब तक उसके प्रोग्राम का फेल होना निश्चित है। इमर्जेन्सी की घोषणा होने के बाद बिड़ला और टाटा जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने डेपुटेशन्ज को लीड किया और कहा कि हम प्राडक्शन बढ़ाना चाहते है। क्या इमर्जेन्सी डिक्लेयर होने के बाद उन का हृदय-परिवर्तन हो गया है ? सरकार को इस गुमालते में नहीं रहना चाहिए। सरकार को उनके कार्यों को देखना चाहिए। सरकार उन लोगों के पहले के कारनामों को न भूले कि किस प्रकार उन्होंने अपने कारखानों की मार्फत जनता के धन का लूटा है। वे लोग तो अपने बचाव के लिए सरकार के पास आ कर उसकी नीतियों के समर्थन की घोषणा करते है। सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अगर वे अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पूरा प्राडक्शन नहीं करते है, तो यह सरकार के प्रति एक धोखा होगा, और इस से हमारा पब्लिक इमेज खराब होगा।

सरकारी अफसर, इंडस्ट्रियलिस्टस और प्रतिबंधित संस्थाओं के सदस्य भय की वजह से सरकार की लाइन में खड़े हो रहे हैं। सरकार उनसे सावधान रहे और उनके खिलाफ एक्शन ले। तभी हमारा प्रोग्राम सफल होगा। यह पार्लियामेंट और देश की जनता सरकार को हर प्रकार के अधिकार देने के लिए तैयार है। उन्होंने पहले भी सरकार को ऐसे अधिकार दिये हैं और आगे भी देंगे। लेकिन जब तक उन अधिकारों

[श्री शिवनाथ सिंह]

को ठीक तरह से उपयोग में नहीं लाया जायेगा, तब तक हमें निराशा होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

श्री प्रताप सिंह नेगी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि पूर्व-वक्ता करीब करीब सारी बातों पर रोशनी डाल चुके हैं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन विरोधी लोगों की वजह से सरकार को देश में आपातकालीन स्थिति का ऐलान करना पड़ा, यद्यपि विरोधी आज यहां हमारे बीच में नहीं हैं । किन्तु वे बड़े जोरों से कहा करते थे कि इस से देश में वाणी की स्वतंत्रता और लेखन की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है । मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में किसी की स्वतंत्रता का अपहरण किया जाता, तो हम उस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि देश में किसी की स्वच्छंदता और स्वेच्छाचारिता को नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छाचारिता और स्वतंत्रता में बड़ा अन्तर है ।

स्वतंत्रता के साथ जहां हमारे अधिकार जुड़े हुए हैं, वहीं हम कर्त्तव्यों से भी हैं । लेकिन स्वेच्छाचारिता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह देश को रसातल की तरफ ले जाने वाली भयानक प्रक्रिया है । हमारे भाइयों को समझना चाहिए कि स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारिता में जो भेद है उस भेद को हमें समझना है । क्योंकि दानव और मानव में अन्तर है । मनुष्य के हृदय में अगर मानवता के प्रति प्रेम है और वह समाज का कल्याण करना चाहता है, तो उस मनुष्य का आदर होता है । लेकिन जो मनुष्य के रूप में दानवता का कृत्य करता है, देश का विनाश करने को सोचता है, उस को मानव न कह कर दानव कहना चाहिए, और ऐसे लोगों का प्रतिकारक बना हमारा फर्ज और कर्त्तव्य है ।

मैं समझता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री ने इस मौके पर सामयिक कदम उठा कर देश को बरबाद होने से बचा लिया है । उसके लिए वह हमारी तरफ से बधाई की पात्र हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (Bombay Central): Mr. Chairman, Sir, while supporting this amending Bill, we expect that this would be utilised to safeguard our country, economically, politically and socially as well. When I say 'politically' I mean, the forces which were trying their level best to de-stabilise this country —they have been very well fought specially by Mrs. Indira Gandhi—and the forces which were trying to de-stabilise and de-base the economy of our country, not only with the help of monopolists and the multi nationals in this country but also with the help of CIA agents like the Anand margis. The people in this country have come to understand the danger which was threatened by these forces. It is true that they took advantage of the economic crisis which was created, to some extent, by the monopolists in this country by bringing down production, creating labour unrest by anti-labour practices, sabotaging production and not utilising their capacity to the fullest. The vested interests were very much involved in this. I think this political aspect should be taken into consideration while amending this Act.

Secondly, there is the question of economic safety also. Mrs. Gandhi has given this twenty point programme and it is welcome. They have taken this emergency as a good gesture towards progress so that something could be done and saboteurs in this country could be dealt with, with

the highest hand. If somebody has the impression that people are doing very good work at present, as we find that there are no longer people sitting on the lawns of Delhi and playing cards in the gardens, which we have witnessed many times, it is not that they are afraid that there is emergency or that the DIR would be used or that they would be arrested under MISA and all that. Workers and people in this country feel 'Yes, Mrs. Indira Gandhi means to do something and she is determined to do something.' It is with that dynamism that people are confident that something will be done and achieved.

So I would like to impress on Government that it is not that workers are scared by this emergency or the DIB or MISA. They want to help, they want to co-operate. But we feel that people's co-operation is not the only thing which will make this 20-point programme a success. On the other side, we must be conscious of the elements which are still bent on sabotage. For the time it may look that they are quiet. They are not. Any time they will take up the opportunity to again try another sabotage, another coup, if I may say so. They would try. We should be cautious. Government should be cautious that in implementing DIR, MISA and all other measures, they are not utilised against the masses, the worker. I may say that the monopolists and private employers in this country are trying their level best in various industries to utilise this emergency by victimising the workers, by sabotaging production. Once they start this, there is no end to it. Supposing there is some unrest and some workers are arrested in an industry or is an establishment, what are the workers to do? You cannot stop them from going into action. I do not mean strike, but you cannot stop them from going into action. They are not going to be suppressed in that way, if the millowners and the private employers or monopolists try to use the emergency against the workers. What we expect Government to do is to show your earnestness, to show your dedication to this 20-point programme. We want you to implement the DIR, use it as an example against a few of these monopolists who are provoking the workers into action by victimising them. They are going to do it, as they did in the Railway Board. Yes, I dare say that the collaborated with the other party and sabotaged the agreement also which was going to be arrived at during the railway strike. I dare say that still the very same Railway Board is not implementing it. Many times when we go to the Minister, he says, 'Yes, yes, we have given instructions and everybody who is not involved in violence and so on will be taken back'. But the Railway Board goes ahead giving contrary instructions. How are you going to deal with this Board? Why cannot you just go into the details of how this Board is working and throw away this Railway Board? Unless you do this, the railway workers, though they are co-operating and they want to co-operate, will not be able psychologically and mentally to co-operate with you We are saying 'Yes, we should co-operate in every aspect, in every industry'. Even in the economic field, in the social field, in the political field, yes, everybody is there to Cooperate, but Government should show by its action, not by words that it means business. Deal with such multi-national companies, monopolists and tax-evaders in this country, out them behind bars, at least a few of them. Let the people know that you can deal with a hard hand such saboteurs in this country. People will not be scared by this DIR because they are confident at least at present that this will be used againts the enemies of this country, against the saboteur elements in this country. With this hope, we are supporting this Bill.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं आज यह इंडियन एक्सप्रैस पढ रहा था तो उस में टाप पर यह न्यूज थी :

[श्री मूल चन्द डागा]

"ORISSA Girls told to shun tight apparel.

Girls in Orissa have been told to discard tight fitting apparel and stretch pants and the like. They have been warned against modfits by the police."

यह भी कोई एक दिमाग में नई बात आ गई ? यह भी क्या डी आई आर में एक किस्म है ? अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ उडीसा में कि जो लड़के बाल रखे हुए थे पुलिस ने उनके बाल कटा दिए।

श्रीमती रोजा देशपांडे : वह अच्छा किया।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे ख्याल मे तो पहले भी ऐसी संस्कृति हमारे यहां थी (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: The lady Member does not want competition in hair with the boys.

श्री मूल चन्द डागा : यह रिपोर्ट उसमे निकली है :

"The police are on the anti-hippie drive for the past one month and they consider miniskirts and modfits 'hippie culture'".

अब यह बताइए कि आप के डी आई आर के अन्दर यह भी आता है क्या ? अभी थोड़े दिन पहले खबर थी कि उडीसा के अन्दर जो विद्यार्थी कालेज जा रहे थे उनको रोक लिया गया और पुलिस थाने मे बुला कर उन के बाल कटा दिए गए । कृष्ण भगवान के भी बड़े बडे बाल थे, भगवान रामचन्द्र के भी बड़े बड़े बाल थे.... (**व्यवधान**) सभापति जी के बाल उस तरह के नही है लेकिन हैं।

एक बात यह सोचनी चाहिए कि डी आई आर का मिसयूज न हो। डी आई आर के कानून का मतलब यह था कि देश जो एक दुर्बलता से गुजर रहा था और जिस दुर्बलता के कारण देश आगे नही बढ़ सकता था आज बड़ा अच्छा अवसर मिला है कांग्रेस सरकार और शासन को कि उस दुर्बलता को दूर करे। एक काम आप कर दें कि सारे अधिकारी जितने हैं उन की पूंजी का डिक्लेरेशन करा दें डी आई आर के अन्दर। हम लोग करते हैं, हमारे एम पीज़ एम एल एज़ मन्त्री सब पूरी तरह घोषणा करें और उसे गजट में निकालना चाहिए कि हरएक के पास कितनी सम्पत्ति है। चाहे वह कोई भी पदाधिकारी हो, जिला प्रमुख हो पचायत समिति का प्रधान हो या शासन का अधिकारी हो, गजट मे उस को निकालना चाहिए कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति है और इस प्रकार का मेरा कमाने का साधन है। हम जीवन मे शुचिता और स्वच्छता लाना चाहते है लेकिन जब तक ये बाते नही होगी वह चीज नही आएगी मेरे पास तो जमीन रही नही। मैंने घोषित कर दिया कि मेरे पास कोई जमीन नही है। (**व्यवधान**) . . .

श्री रामजीराम (अकबरपुर) : अफ़सरो के लिए क्या कह रहे है एक एक बी डी ओ एक एक दिन मे लखपति हो गये ।

श्री मूल चन्द डागा : सवाल यह है कि जो लागू करने वाले है इस कानून और नियम को उन के लिए यह चीज होनी चाहिए और आप डी आई आर के अन्तर्गत जो रूल्स बनाते है उस के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन एक है लेकिन उस के द्वारा रूल्स एग्जामिन करने के पहले वे लागू हो जाते है। मै समझता हूं कि एक कमेटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की इस काम के लिए कि जब कभी भी आप रूल्स बनाएं तो उस पर वह कमेटी बैठे, अपना माइड अप्लाई करे, देखे कि वे रूल्स उस भावना, उस मशा के अनुरूप है या नही जिस मशा से वह बनाए जा रहे है। मैं समझता हूं कि यह जो अवसर आप को मिला है उस का लाभ उठा कर हम शासन को ठीक रास्ते पर लाएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हू कि यह एमर्जेंसी का सवाल नहीं हैं शासन में मितव्ययिता, संयम, अहंकार

विहीनता, आडम्बरहीनता, अध्यवसाय ये सारे गुण होने चाहिएं । यह नहीं होना चाहिए कि एम जेंसी हो गई तो लागू हो गए । मैं समझता हूं कि इस मौके का लाभ उठा कर अगर हम भ्रष्टाचार को मिटा सके तो हम ने बहुत कुछ जीत कर ली । यह जो अवसर मिला है उस का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : (मधेपुरा) सभापति जी, मैं सब से पहले आपको धन्यवाद दूं कि देर कर के ही सही, आप ने मुझे बोलने के लिये समय दिया । भारत सुरक्षा संशोधन विधेयक के माध्यम से आन्तरिक गड़बड़ी का भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है । मै इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू । आपात स्थिति की घोषणा के बाद 30 जून को राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश जारी करके उसके माध्यम से भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के संशोधन की व्यवस्था की जिससे इसके अन्दर आन्तरिक गडबडी भी आ सके । इस अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिये ही यह विधेयक पेश किया गया है । इससे पहले इस नियम के अन्दर कुछ इस प्रकार का प्रावधान था जिसे मैं पढना चाहूंगा---

"3(1). The Central Government may by notification in the official Gazette make such rules as appear to it necessary or expedient for securing the defence of India and civil defence, the public safety, the maintenance of public order or the efficient conduct of military operations or for maintaining supplies and services essential to the life of the community."

पर इसके अन्तर्गत इन्टरनल डिस्टर्बेन्स की बात नही थी, इस लिये इस विधेयक के माध्यम से इसमें इन्टरनल डिस्टर्बेन्स की बात लाई गई है । यह मानी हुई बात है कि अन्दर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है । आप ने देखा कि बाहर के दुश्मनों से अभी गत दो लड़ाइयों में किस बहादुरी से हम ने लड़ाई की, लेकिन चन्द विरोधी दल के लोग वास्तव में आस्तीन के सांप की तरह देश के साथ घात कर रहे थे । वे किस प्रकार देश में अव्यवस्था फैला रहे थे उसके बारे में आप हम से ज्यादा जानते होंगे ।

सभापति महोदय : चूंकि आप हमारे प्रदेश से आते हैं, आप ने देखा गत एक वर्ष में खास कर बिहार की क्या हालत हो गई थी । वास्तव में वहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह नही जा सकते थे । यदि कोई आदमी रेल से एक बार एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था तो भगवान को हाथ जोड़ कर धन्यवाद देता था कि हम सही सलामत पहुच गये । आप ने देखा जो आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई उसके साथ ही देश की हालत किस तरह से बदली । आर०एस०एस० और आनन्द मार्ग के दफ्तरो पर छापे मारे गये तो आप ने देखा कि वहां से किस प्रकार का साजो-सामान व अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए, जिन पर विदेशी मुहर लगी हुई थी । वहां से ऐसे कागजात भी निकले जिनसे साबित होता था कि किस तरह से देश को बरबाद करने की साजिश की जा रही थी । ऐसी स्थिति मे श्रीमती इन्दिरा गाधी ने जो कदम उठाया है, वह समयोचित है । श्रीमती इन्दिरा गाधी सही समय पर सही कदम उठाने के लिये विख्यात हैं और आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके उन्होने वास्तव में सब से सही समय पर सब से सही कदम उठाने का एक नमूना सामने रखा है ।

देश मे जिस तरह की अनुशासनहीनता का आलम फैला हुआ था इस आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद सारे देश मे अनुशासन का एक आलम फैल गया है । दफ्तर जाने वाले अब सही समय पर दफ्तर पहुचने लगे हैं । देश मे उत्पादन बढ गया है । मै एक उदाहरण देता हू---हमारे यहां पटना से बरौनी की तरफ़ जाने के लिए एक गाड़ी जाती है--दानापुर--समस्तीपुर एक्सप्रैस । पहले जब हम जाते थे तो फर्स्ट क्लास के

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

पैसेन्जर्स को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती थी, क्योंकि उसमें सब बिना टिकट के यात्री पहले से भरे होते थे। लेकिन ता० 29 जून को यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि फर्स्ट क्लास की दो कोचेज में एक भी आदमी नहीं था। लोगों में एक डर-सा पैदा हो गया है और वे समझने लगे हैं कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद हम कोई नाजायज़ काम नहीं कर सकते। लोगों में एक सेन्स आफ़ रेस्पोंसिबिल्टी आई है, खास कर विरोधी दलों के लोगों में . . (व्यवधान) . . . आप ने देखा—मीसा का जो उपयोग किया जा रहा है, वह प्राफिटियर्स और होर्डर्स के खिलाफ़ किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं राजनैतिक लोग देश के खिलाफ़ साजिश कर रहे थे, उनके खिलाफ़ भी इसका उपयोग किया गया है। वे नौजवान जो वास्तव में अपने को जय प्रकाश जी का फौलोअर बतलाते थे और देश की सुरक्षा को खतरे में डालते थे, उनको भी इसके अन्दर लिया जा रहा है। साथ ही, जैसा कि और दोस्तों ने भी कहा है, जो लोग इसको इम्प्लीमेन्ट करते हैं, अफसर लोग, उन पर डी०आई० आर० क्यों नहीं लगाया जाता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यदि कोई करप्ट लोग हैं, कोई इस तरह के अफसर हैं जो नाजायज़ ढंग से धन इकट्ठा करते हैं, जो इनएफिशियेन्ट हैं, उनको केवल रिटायर कर देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया जो उन्होंने जमा कर लिया है वह उनक कई पुश्तों तक चलता रहेगा और उनक कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ने दूसरे लोगों को डी०आई०आर० में अन्दर करने का प्रावधान कर रखा है तो उन अफसरों को भी जिन्होंने नाजायज तरीके से धन इकट्ठा किया है, जो सरकारी आदेशों को क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं, उनको भी इसके अन्दर लेना चाहिए। इससे पहले भी आप ने बहुत से साहसिक कदम उठाये थे, बहुत सारे कार्यक्रम चलाये थे, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। उनको अमली-जामा नहीं पहनाया गया और इसके लिये ये लोग ही जिम्मेदार हैं। इस लिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ़ भी मीसा लगाया जाना चाहिए। मीसा और डी०आई०आर० केवल किसानों पर, मजदूरों पर, विद्यार्थियों पर या अन्य लोगों पर ही लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपके द्वारा आग्रह करना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के बाद यह जो आलम बना है, हम डिसिप्लड तरीके से काम करना चाहते हैं, हम चाहेंगे यह स्थिति कुछ और दिन तक चले। राष्ट्र की भलाई को ध्यान में रखते हुए एक दो साल तक इस स्थिति को बरकरार रखना अनुचित नहीं होगा। आज का जो बदला हुआ वातावरण है उसे यदि हम वे आफ लाइफ बना देते है और इसी रफ्तार से देश का उत्पादन बढ़ता रहता है तो उससे देश का बहुत भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Sir, I am very happy to see the wide support this Bill has received. I am thankful to the hon. Members who have given almost unanimous support to this Bill. It is but natural that those who have supported the Proclamation of Emergency should have supported this measure also. All that the Bill seeks to do is to amend the Defence of India Act to meet the present situation caused by the internal disturbance. It is a very formal Bill and there is no opposition from any quarter. It is quite necessary that internal peace is maintained for the progress of the country. No nation can develop unless there is internal peace. But unfortunately some forces, which are reactionary and disruptive, have combined together to create a situation of alarm and anxiety, which was a stumbling block against the progress of the country. Government could not implement its programme however, sincere it was; because of such

obstacles that were put in its way. In the name of democracy, democracy was stifled. Elected Assemblies were threatened to be dissolved. Almost a violent situation took place in some parts of the country. It was likely that such a situation could develop in the whole of the country. There was indiscipline in every field and more so, in the younger generations. Universities were the scenes of so many violent activities. Students kept themselves out of colleges and universities. They were exhorted to do so by the Opposition parties. The democratically and constitutionally elected members were threatened and asked to resign. When they did not do so, violence was used against them. It was the period when such a measure was necessary I am happy that the whole country has welcomed the proclamation of Emergency. It is only to replace the Ordinance that we have brought this measure. The very fact that the House has approved the proclamation of Emergency and the very fact that twice today Members have given wide support in this House, shows that the people want it because you all are the representatives of the people So, how can it be called an undemocratic measure, I cannot understand

15 hrs.

Perhaps, a whisper campaign goes round that the democracy is stifled. Sir, whatever, we have done, we have got the support of the people. We have seen the reactions of the Members here who represent the people, who represent the common-man and who represent the whole of the country as such. All these measures are in the interest of the country and to maintain internal peace. Such a situation was necessary for the implementation of the economic programme which will go a long way for the betterment of the common-man of our country.

After the promulgation of the Ordinance, Government had banned certain Organisations, which was acclaimed by the people of the country. The Organisations were RSS, Ananda Marg, CPI(M), Jamait-e-Islami and many others. They were 26 in number. All these banned Organisations were carrying on such activities which could disturb the internal peace of the country. Some of them were para-military organisations. The very fact that daggers and fire-arms were found in their possession, goes to show what their intentions were. The whole nation now understands what these organisations were out to do. So, they have welcomed the measure of banning these organisations.

While expressing their views on this Bill, Members have drawn the attention of the Government towards the scope of misuse of DIR and other Emergency measures Mr. Jharkhande Rai, Mr. Suleman Sait and so many other Members from this side have drawn my attention to the possible misuse and also some incidents have been quoted here. It is not as if a member of a particular party is harassed here. It may be a coincidence that the people who are arrested under DIR or under MISA happen to be members of the CPI or members of the Muslim League. In fact, some of them may happen to be members of the ruling party, i.e., the Congress I cannot rule it out, because these actions are taken against anybody who might violate the law or who is a disturbance to law. But this is never done on the lines of political affiliations or affinity People are not arrested on that basis. But I do not rule out the misuse of MISA or of the emergency powers. I do not rule out this possibility. So, the State Governments are being advised to take care while making these arrests, either under DIR or under MISA or under any other emergency powers; and all the concerned officers have been instructed and advised to see

[Shri F. H. Mohsin]

that the DIR is used for the benefit of the people. To-day, Sir, we see that prices are coming down. Things which were very scarce in the market are coming out now; and the situation has improved. People are happy that things are available in the market and are becoming cheaper also. We earnestly desire that this tempo is kept up and the common man is benefited thereby. We want to see that supplies are properly maintained, internal peace is maintained, production is enhanced and there is peace in factories, in agricultural fields, in the universities and elsewhere as well. Only then can we hope that the country would progress and we would become a still stronger nation. We are keeping in close touch with the State Governments to see that the cases of those arrested under DIR or under MISA are reviewed. We have requested them to review occasionally to see whether those arrests are really necessitated by the circumstances or not So, we will keep in close touch with the State Governments to see that the DIR or any other emergency easure is not misused. Some hon. Members have pointed out that some of the members of these banned organizations have not been arrested so far. It is true that some of the persons belonging to, or active workers of, the banned organizations are under-ground; and are evading arrest. We are making efforts to see that they are booked; and we have also advised the State Governments to activise their set-up to see that these persons are traced and booked. We do not want to see that those disruptive elements are at large; but we want to ee that there is no kind of internal isturbance But all the same I would ike to make it clear that it is not as hough every member of those organizations will be hauled up It is not ecessary; it is not in the interests of he country either. But whoever is active in creating internal disturbance —we cannot spare such people; but to arrest each and every member of these organizatons may not be practical or proper; but if any case comes to notice indicating that a particular person is indulging in such illegal activities which might be a danger to internal security or might cause internal disturbance, we would look for him and book him. With these words, I thank the Members for their support to the Bill.

श्री नागेश्वर द्विवेदी : जो संस्थायें अवैधानिक करार दी गई हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे मे आप क्या करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : उन्होंने कहा है कि वे पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जायेंगे।

The question is:

"That the Bill to amend the Defence of India Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to Clauses 2 to 11

The question is:

"That Clauses 2 to 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 2 to 11 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति जी, हमारे देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई और इसलिये की गई कि हमारे देश में जो दक्षिण-पंथी और फासिस्ट शक्तियां थीं, वे विदेशी शक्तियों से मिल कर, खास तौर से अमरीकी तत्वों के साथ, सी०आई०ए० के साथ मिल कर देश की आन्तरिक सुरक्षा पर खतरा पैदा कर रही थीं और इस प्रकार हमारे देश की आजादी पर खतरा आ गया था। इसी पृष्ठभूमि में भारत रक्षा संशोधन विधेयक, 1975 इस सदन में पेश किया गया है और इसके जरिये "आन्तरिक सुरक्षा" शब्द इस कानून में जोडे जा रहे हैं। आम तौर से तमाम लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। मै यह कहना चाहता हू कि आप इस तरह का कानून तो बना रहे हैं, पर बहुत सारे सदस्यों ने ठीक ही कहा कि आज भी आपके शासन यंत्र में चाहे वह आकाशवाणी हो, शिक्षा विभाग हो, या दूसरे सरकारी कार्यालय हों, उन तमाम में आनन्द मार्गी और आर०एस०एस० के तत्व भरे पडे है। उनको आप निकाल पाने में लगता है कि अपने को समर्थ नही पा रहे है। मैं कहना चाहता हू कि इस कानून का इस्तेमाल इस तरह के लोगो के खिलाफ होना चाहिए।

आप ने आर०एस०एस० पर बंदिश तो जरूर लगायी, लेकिन उनकी सहयोगी संस्थाओं पर आप ने कोई प्रतिबन्ध नही लगाया। आनन्द मार्ग की सहयोगी संस्थाओं पर प्रतिबन्ध जरूर लगाया, लेकिन आर०एस०एस० की सहयोगी संस्थायें आज भी खुल्लमखुल्ला काम कर रही है और आर०एस०एस० के लोग उन्ही संस्थाओं की मार्फत अपने देशद्रोही कामो को अंजाम दे रहे है। तो मै चाहूंगा कि आपको भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल, एम०आइ०एस०ए० का उपयोग इस तरह के तत्वों के खिलाफ, जो सरकार मे घुसे हुए है, करना चाहिए। मैं जानता हूं बिहार में उस समय के मुख्य मंत्री ने कहा था कि आनन्द मार्ग के 252 लोग बड़े-बड़े अफसरान है लेकिन उनमें से एक भी अभी तक नहीं निकाला गया। मैंने, श्री भोगेन्द्र झा तथा कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य लोगों ने कुछ लोगों के नाम भी बताये। लेकिन वे लोग आज भी सरकारी कार्यालयों में पलथी मार कर के बैठे हुए हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ठीक ही कहा लोगों ने कि ब्लैक मार्केटियर्स, चोर बाजारी करने वाले के खिलाफ आप इस कानून का जगह जगह इस्तेमाल कर रहे है, लेकिन मेरे सूबे में अभी इसका इस्तेमाल जिस पैमाने पर होना चाहिए, और सूबो में जिस पैमाने पर होना चाहिए, वह नही हो पा रहा है। जो जनता को भूखों मारने की कोशिश करते हैं, दाम बढ़ाते हैं, गल्ला छिपा कर रखते हैं ऐसे लोगों को पकड़िये। और जो कारखानों के मालिक लाक आउट डिक्लेयर कर देते हैं, कारखानों को बन्द कर देते है और मजदूरो को तंग करने की कोशिश करते हैं, उन्हे उकसाने की कोशिश करते है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिए। अभी आप ने इस कानून के मुताबिक उर्वरक खाद के कारखानो मे हड़ताल और लाक आउट पर बंदिश जरूर लगा दी, लेकिन दूसरे लोग जो लाक आउट करते है? बिहार मे कई कारखानो मे लाक आउट था, लेकिन वहा के श्रम मंत्री ने बहादुरी के साथ काम लिया और लोगो को बुला कर कहा कि कारखाने को खोलो नही तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इस तरह की बात पूरे हिन्दुस्तान में करने की जरूरत है ताकि मजदूर विरोधी तत्व, बड़े पूंजीपति, इजारेदार इसके चंगुल से नही बच सकें और मजदूरों को तंग नही कर सकें, उत्पादन मे कमी नही कर सकें। तो मै चाहूंगा कि आप ऐसा कीजिये।

अभी इसके दुरुपयोग के बारे मे कहा गया। आप ने कहा कि एक आध जगह दुरुपयोग हो सकता है। मैं जानता हू बिहार, यू०पी० और तमिलनाडु में जहां डी०एम०के० की सरकार है वह हमारे दल के लोगों पर,

[श्री रामावतार शास्त्री]

ए०डी०एम०के० के लोगों के खिलाफ, दूसरे विरोधियों के खिलाफ इस तरह के कानून का इस्तेमाल कर रही है। हमारे सूबे में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी चम्पारन में, औरंगाबाद जिले में, सीतामढ़ी जिले में, सारन जिले में और स्वयं पटना जिले के दीघ में 9 और 10 साल के बच्चों को और 13 साल के बच्चों को भारत रक्षा कानून के अन्दर जेल में रखा गया। जिसके बारे में मुझे डी०एम० को कहना पड़ा कि यह क्या हो रहा है। आये थे औरों को पकड़ने रास्ते में बच्चे पड़ गये तो उन्हीं को पकड़ ले गये। यह नहीं होना चाहिए।

अन्त में एक बात और कहना चाहता; कि पिछले साल रेल मजदूरों ने बहुत ही बहादुराना लड़ाई आपकी मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ लड़ी और आप ने उस हड़ताल को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गैरकानूनी डिक्लेयर किया। फर्नान्डीज को भी जेल में डाला और मेरे जैसे लोगों को भी जेल में डाला। और दोनों को एक ही पटरी पर बैठा दिया। आप ने दोनों में कोई विभेद करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि श्री फर्नान्डीज का मकसद कुछ और रहा हो जैसा कि बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है, कि वह सरकार को लुंज पुंज बनाना चाहते थे, लेकिन हमारा वह मकसद नहीं था। इंडियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन जिसका नेतृत्व कामरेड एस० ए० डांगे के हाथों में था उनका वह मकसद नहीं था। आल इंडिया रेलवे एम्प्लाईज कानफडरेशन का यह मकसद नहीं था। स्वयं आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जो अधिकांश मजदूर थे उनका भी वह मकसद नहीं था, एक आध लोगों का भले ही यह मकसद रहा हो जो श्री फरनान्डीज का था, लेकिन आप ने दोनों को एक ही तराजू में तोला। दोनों में कोई भेद नहीं किया। अभी भी गाली दे रहे हैं। हमारा मकसद रेलवे को पैरेलाइज करना नहीं था। रेलवे हड़ताल 6 सूत्री मांगों के लिये की गई थी। उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। जिनको पूरा किया गया उन को कार्यान्वित नहीं किया गया और आज भी हमारे कई हजार मजदूरों पर विक्टेमाइजेशन की तलवार लटक रही है। मंत्री लोग कहते हैं कि उनको नौकरी में लिया जाय। रेलवे बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि अगर ले लेंगे तो फिर हड़ताल हो जायगी। कितने ही लोग आप ने वापिस नौकरी पर ले लिये हैं लेकिन हड़ताल नहीं हुई है। जो बचे हुए हैं को वे लेने से कैसे हड़ताल होगी। हड़ताल से पहले जिन लोगों को सरकार ने निकाल दिया था उनको भी आपने नौकरी पर वापिस नहीं लिया है। इंडियन रेलवेज लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन के चार नेता पहले ही हड़ताल के निकाल दिये गये थे नौकरी से लेकिन आज तक उनको नौकरी में वापिस नहीं लिया गया है। इनमें से श्री मौलवी राम जो कि झाझा के हैं उनको एक साल तक डिटेंशन में भी रखा गया था डी०आई०आर० के अन्दर। स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने आर्डर दिये थे कि इन सब को नौकरी पर वापिस ले लिया जाये लेकिन आज तक उन्हें नहीं लिया गया है। इन लोगों के नाम हैं श्री टी० एन० उपाध्याय और श्री चटर्जी जो मुगलसराय के हैं और श्री मौलवी राम और झम्मन कुंडू जो झाझा के हैं। इन तमाम लोगों को वापिस नौकरी पर लिया जाये। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने इसका वादा किया था और इसके बारे में वह आदेश भी दे गये थे। लेकिन रेलवे बोर्ड के लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए रेलवे बोर्ड पर भी डी०आई० आर० लगना चाहिए और उसके मैम्बरों को पकड़ कर जेल में डाला जाये। ये मिनिस्टरों की बात नहीं मानते हैं।

इस कानून का बहुत जगहों पर जो दुरुपयोग हो रहा है इसको आप रोकें। इसका दुरुपयोग होने न दें। अगर आप देश को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, पूंजीपतियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन पर चेक करना चाहते हैं, चोर बाजारियों को खत्म करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ आप इसको सख्ती से लागू करें और इस काम में हमारा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन अगर मजदूरों, किसानों, गरीब लोगों, मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के खिलाफ आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एमरजेंसी रहे या न रहे हमारे जैसे आदमी और हमारे दल के लोगों को इस तरह के कदम का विरोध करना ही पड़ेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI F. H. MOHSIN: Sir, as I have already said these Emercency measures are in the interest of the country and in the interest of the common man.

The hon. Member, Shri Ram Avtar Shastri, has made some observations about the inflow of foreign money. We are vigilant about this matter and we have information that certain organisations and certain individuals have been receiving foreign money. We have brought forward a Bill to plug the loopholes or to regulate the inflow of foreign money into our country which is before the Select Committee. That Bill is already before the Select Committee. If need be, we can take more stringent action against persons who may be receiving foreign money for creating disturbance in the country. We certainly use all our Emergency measures against them.

He also said that some public servants are yet involved or associated with these banned organisations. It may be. But if any public officer or any public servant is found involved or actively associated with these banned organisations, I can assure the House that action will be taken against them. They will also not be spared.

About other points raised by him, I have already replied to them before.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.24 hrs.

THE KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFARS (DR. SAROJINI MAHISHI): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the extension of the duration of the present Legislative Assembly of the State of Kerala, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to provide for the extension of the duration of the present Legislative Assembly of the State of Kerala, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
Shri C. K. Chandrappan.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): Mr. Chairman, I stand here to suport this Bill which is seeking an extension of the life of the Kerala Legislature. Normally, I do not think the Government would have come forward with such a legislation, but there is a very special situation in our country since Emergency has been declared.

15.25 hrs

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

Under these circumstances, it is not possible to hold elections to the State Assembly. There is an alternative and that alternative is introduction of